Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019

pr|j ifMr th dk fHkUu&fHkUu dykdkjk| l| lEc/k LFkkfir dj cfn'kk| dk l|dyu djuk

v|t yh dukfT;k
(नेट), (एस0आर0एफ0), संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

चतुर पंडित जी का भिन्न–भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ संपर्क हुआ। जिसमें अनेक शहरों के नागरिक, अनेक स्टेट के राजा–महराजा, सरदार लोग, सभी प्रकार छोटे बड़े भिन्न–भिन्न स्थानों एवं घरानों के कलाकारों से भी उनका सम्पर्क हुआ। वकील थे तो वकील लोगों से भी उनका संपर्क था। इस प्रकार लोगों में जोड़ने की प्रवृत्ति उनमें बहुत अच्छी थी। इस कारण भातखंडे जी के संपर्क में हर वक्त विद्वान, गुणीजन, लेखक, वकील, कवि, संगीतज्ञ एवं शास्त्रकारों से होकर सरकारी अफसर तक रहते थे।

''गायन उत्तेजक मंडली'' में ही सर्वप्रथम उनका परिचय वहां के शिक्षक कलाकारों से हुआ, जिनमें बुआबेलगाकर, विलायत हुसैन खाँ एवं अली हुसैन खाँ के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों से पंडित जी ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। पंडित जी मंडली द्वारा होने वाले संगीत कार्यक्रमों में जाना कभी नहीं चूकते थे। प्रत्येक संगीत कार्यक्रम में उनका किसी न किसी नये कलाकार से संपर्क हो ही जाता था। भारत के विख्यात बड़े–बड़े गायक–वादक, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, जयपुर, ग्वालियर, पटियाला, बड़ौदा, हैदराबाद आदि रियासतों से कलाकार लोग बम्बई आकर इस मंडली के अन्तर्गत अपनी प्रस्तुति देते थे। इन सभी को पं. जी ने खूब सुन–सुन कर एवं संगीत के अनेक पक्षों पर तर्क–विर्तक करके अच्छा खासा संपर्क बना लिया था। पं0 भातखंडे जी का यह चतुर कौशल था एवं उनकी दूरदृष्टि थी, उन्हें पता था कि यह कलाकार कभी न कभी संपर्क बनाने से हमारे काम में आएंगे। इसलिए उनकी पहचान बनाने का कारण यहीं था कि जिससे किसी भी जगह संगीत की जानकारी हेतु जाने पर उस स्थान में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस हेतु वे प्रत्येक छोटे बड़े संगीत कलाकार से अपना संपर्क करते रहते थे। पं. जी जिस कार्यक्रम में जाते थे वहां जो भी संगीत कलाकार आया हो चाहे वह स्थानीय कलाकार हो, अथवा किसी अन्य शहर का, उससे वे अपने संगीत उत्थान हेतु कार्यों के लिए आवश्यकतार्थ तुरन्त संपर्क कर लेते थे।

रहमत खाँ, पन्ना ताला बाजपेयी, बन्दे अली खाँ बीनकार, अली हुसैन खाँ, नथ्थन खाँ आगरा वाले, ग्वालियर वाले, बालकृष्णबुआ, तानरस खाँ, अली हुसैन के भाई फतेहअली, हैदर खाँ, मुहम्मद खाँ, बन्ने खाँ इत्यादि यह सब लोग बम्बई आकर अपनी–अपनी प्रस्तुति गायन उत्तेजक मंडली के अंतर्गत दिया करते थे। पंडित भातखंडे जी ने इन सभी भिन्न–भिन्न कलाकारों से अपना संपर्क बहुत अच्छा बना लिया था। पंडित भातखंडे जी ने इन से बहुत अच्छी पहचान बना ली थी। वह सब कलाकार पंडित जी को उनकी हुनर के कारण तथा संगीत में अपने ज्ञान के कारण अच्छी तरह से जानने लगे थे।

कुछ दिनों पश्चात ''गायन उत्तेजक मंडली'' में बम्बई के मशहूर सारंगीवादक उस्ताद नजीर खाँ सारंगी सिखाने के लिए नियुक्त किए गये। इनायत खाँ साहब से भी भातखंडे जी ने अच्छी पहचान बना ली थी। पंडित जी ने कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर एवं परम्परागत रागदारी गीतों का संग्रह करके वर्तमान समय के प्रचलित संगीत के संबंध में कुछ सिद्धांत निश्चित किये थे और उन सिद्धांतों को गायन उत्तेजक मंडली के सदस्यों को समझाते थे। सारंगीवादक नजीर खाँ साहब पं. जी के कार्यों से एवं उनके संगीत शास्त्र में अधिकार से अत्याधिक प्रसन्न रहते थे। संस्था में पंडित जी द्वारा होने वाले प्रत्येक व्याख्यान का, सदस्य लोग आनंद उठाते रहते थे। पंडित जी को व्याख्यानों एवं भाषणों के लिए वे सभासद अन्य संस्थाओं में भी ले जाते थे, जिससे पं0 भातखंडे जी के अन्य स्थानों के भिन्न–भिन्न लोगों एवं विद्वान कलाकारों से भी अत्यंत संपर्क बढ़ गया था।

सारंगी वादक उस्ताद नजीर खाँ के एक शिष्य श्री वाणी लाल शिवराम थे जिनसे भातखंडे जी का संपर्क उस्ताद ने करवा दिया था। श्री वाणी लाल जी बम्बई की गुजराती नाटक मंडली में गीत रचना एवं संगीत दिग्दर्शन का कार्य करते थे। साथ ही वे नजीर खाँ साहब से उनके शिष्य बनकर शास्त्रीय रागदारी की शिक्षा भी ग्रहण करते थे। श्री वाणीलाल जी से पं. भातखंडे जी का संपर्क हुआ तो वाणी लाल जी को पंडित भातखंडे जी के बारे में यह पता चला कि इनको

संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने के दौरान अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो वे भातखंडे जी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके द्वारा अध्ययन किए गए ग्रंथों का सार जानने की इच्छा जागृत की। वाणी लाल जी ने पंडित जी से इस बारे में प्रार्थना की, कि आप हमें पड़े हुए संगीत शास्त्रों का ज्ञान करवायें। पंडित भातखंडे जी ने वाणी लाल जी को विस्तार से शास्त्रीय संगीत के ग्रंथों के बारे में समझाया तो वाणी लाल जी पंडित जी से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गये। वाणीलाल जी पं0 भातखंडे जी को अपना गुरू मानने लगे।

उस्ताद नजीर खाँ साहब बम्बई के भिन्डी बाजार में रहते थे। नजीर खाँ साहिब के आस–पास ही कहीं प्रख्यात गायक के बड़े पुत्र मुहम्मद खाँ भी रहते थे। मुहम्मद खाँ साहब का आना–जाना नजीर खाँ साहब के यहां होता था। श्री वाणी लाल जी मुहम्मद खाँ साहब से भी परिचित थे, इन दोनों की मित्रता थी। कहते हैं मुहम्मद खाँ साहब के पास चीजों का अच्छा भंडार था।

एक दिन की बात है, श्री वाणीलाल जी एवं मुहम्मद खाँ साहब घूमने जा रहे थे रास्ते में दूसरे छोर, एक ओर कोई उस्ताद जा रहे थे। मुहम्मद खाँ ने वाणी लाल जी से कहा कि आप देखिए तो वह कौन जा रहे हैं, वाणी लाल जी ने कहा वे बहुत बड़े उस्ताद हैं और इनके पास चीजों का भंडार ही भंडार है वे इसलिए कोठी वाले कहलाते हैं। वे मुहम्मद अली खाँ साहब जयपुर वालों के पुत्र हैं और इनका नाम उस्ताद आशिक अली खाँ है। आपके गुरू पंडित भातखंडे जी को जिन चीजों की आवश्यकता है वे चीजें इनके पास मिल जायेगी। मुहम्मद खाँ साहब ने वाणी लाल जी की पहचान उन जयपुर वालों से करा दी। दूसरे दिन श्री वाणी लाल जी ने उस्ताद आशिक अली के बारे में पंडित भातखंडे जी को बताया। पंडित जी ने कहा कि भाई वाणी लाल जी आशिक अली साहब कोकल घर अवश्य लाना। वाणी लाल जी दूसरे दिन उस्ताद आशिक अली खाँ को पंडित भातखंडे जी के घर ले गये और पंडित भातखंडे जी का परिचय उस्ताद आशिक अली खाँ से करा दिया। पंडित भातखंडे जी ने उस्ताद की आवभगत की और उस्ताद से आराम करने को कहा। आराम के पश्चात् पं. जी की उस्ताद आशिक अली से राग विशेषों पर घंटों विस्तार से चर्चा हुई। उस्ताद से पं. जी ने कई बंदिशें सुनी और कुछ बंदिशें रिकार्ड भी कर लीं, इन बंदिशों की पं. जी ने स्वरलिपि भी तैयार कर ली। इस प्रकार से पंडित जी का परिचय कई कलाकारों से होता चला गया और पं. जी अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहे। अब वे अपना संपर्क लगातार बढ़ाते रहे।

इसके पश्चात् पंडित जी ने उस्ताद आशिक अली को उचित वेतन देकर पढ़ाने के लिए लगा लिया, और उस्ताद से सीखने लगें यह खबर जयपुर में बड़े उस्ताद मुहम्मद अली खाँ साहब जी के पास पहुंच गई जो उस्ताद आशिक अली के पिता जी थे कि पं. भातखंडे जी आशिक अली को लूट रहे हैं। इस खबर को सुनकर जयपुर से बड़े मियां तुरंत क्रोधित होकर बम्बई आ गये। बड़े मियां मुहम्मद अली खाँ साहब आशिक अली को लेकर पं. भातखंडे जी के घर गये और पं. जी से आशिक अली द्वारा सिखाई गई चीजें पं. जी के गले से सुनने की इच्छा प्रकट की। वहीं पर आशिक अली को वे डाटने लगे कि तुमने हमसे बिना पूछे इन चीजों को भातखंडे जी के लिए क्यों सिखाया।

पं. भातखंडे जी मन ही मन प्रसन्न हुए कि चलो इस बहाने जयपुर वाले मुहम्मद अली खाँ साहब से भी परिचय हो गया। पंडित जी ने खाँ साहब को समझा बुझाकर के शांति किया। और आशिक अली द्वारा सिखाई गई बंदिशें बड़े मियां को गा कर सुनाई। बड़े मियां खाँ साहब इन बंदिशों को भातखंडे जी के गले से सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले कि भातखंडे तुम ही सिर्फ एक ऐसे गायक हो जो जयपुर घराने की बंदिशों को सही–सही गा रहे हो। अन्य गायक तो इन बंदिशों को बिगाड़ देते हैं जिससे जयपुर घराने का जो प्रमुख लहजा है वह समाप्त हो जाता है। मुहम्मद अली खाँ साहब पं. भातखंडे जी से बोले की अब मैं तुम्हें सिखाऊँगा। खाँ साहब ने पं. भातखंडे जी को कुछ बंदिशें सिखाई। पं. जी ने मुहम्मद अली खाँ साहब को अपना गुरू बना लिया और उनकी सेवा बड़े स्नेह से की। डॉ सुशील चौबे ''हमारा आधुनिक संगीत'' पुस्तक के पृष्ठ क्र. 183 पर लिखते हैं कि पं. भातखंडे जी ने जयपुर के उस्ताद मुहम्मद अली खाँ ''कोठीवालों'' से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी जो प्रतिष्ठित जयपुर के प्रसिद्ध मनरंग घराने के वंशज थे।

पं. भातखंडे जी ने इस तरह से बम्बई में रहते हुए एवं अन्य स्थानों में घूमते हुए अनेक भिन्न–भिन्न कलाकारों से अपनी अच्छी पहचान बना ली थी तथा इनके अतिरिक्त और लोगों से भी संपर्क बना लिया था।

l nHk xUFk l ph %&

1. भैरवी संगीत शोध पत्रिका वर्ष 2011, पृ0सं0–35–38
2. वही
3. भारतीय संगीत को पं0 विष्णु नारायण भातखंडे का योगदान, डॉ. श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर, पृ0–24
4. भैरवी संगीत पत्रिका वर्ष 2010, पृ0सं0–56–62
5. वही
6. संगीत, वर्ष 1930, दिसम्बर पृ0सं0–7–17
7. वही
8. संगीत, 1994 अक्टूबर, पृ0सं0–21
9. वही
10. चिंचोरे, प्रभाकर नारायण ''भातखण्डे स्मृति ग्रन्थ'' पृ0सं0–33
11. संगीत नाटक अकादमी 1991 जनवरी–मार्च, पृ0सं0–49–52
12. वही

UIJMSR

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019
2019

ekuo eY;k dk gkl ,d lkekftd leL;k

Mk- jfonkl vfgjokj (गेस्ट फेकल्टी)
समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (केन्द्रीय विवि.) मध्य प्रदेश

''भारतीय समाज मूल्यप्रधान समाज है'' यह कहना गलत होगा। इस समय तो ऐसा हरगिज नहीं हैं। हम भारतीय यह दावा करते है कि हमारे भारत में सदा से नैतिकता रहीं है। अगर प्राचीन ग्रन्थों को गहराई से देखा जाये तो अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें नैतिकता को दरकिनार कर दिया गया। आज हम अपने यहां की पुस्तकों की व्याख्या इस प्रकार करते है कि समाज की तत्कालीन वास्तकिता दर्शाये। लेकिन हमे याद रखना चाहियें कि वे पुस्तकें समाज को उचित और अनुचित का उपदेश देती है न कि यह विवरण देती है कि समाज में क्या हो रहा है।

असंतोष, अलगाव, उपद्रव, आंदोलन, असमानता, असामंजस्य, अराजकता, आदर्श विहीनता, अन्याय, अत्याचार, अपमान, असफलता, अवसाद, अस्थिरता, अनिश्चितता, संघर्ष, हिंसा,..... यही सब आज मनुष्य को घेरे हुए है। व्यक्ति में एवं समाज में साम्प्रदायिकता, जातीयता, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, हिंसा की संकीर्ण कुत्सित भावनाओं व समस्याओं के मूल उत्तरदायी कारण है मनुष्य का नैतिक और चारित्रिक पतन अर्थात नैतिक मूल्यों का क्षय एव अवमूल्यन है। इस शोध पत्र के माध्यम से मैं उन मानव मूल्यों को उजागर करना चाहता हूँ जो सिर्फ मानव ने अपने स्वार्थ पूरा करने के लिये मानवता को दरकिनार कर दिया है।

यदि अवांछित बच्चों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाये तो हम पाते है कि महान पराकमी, सूर्य पुत्र कर्ण कुन्ती के अवांछित पुत्र थे जिन्हें तिरष्कृत कर दिया गया था उनके तिरष्कृत होने की वजह मात्र इतनी थी कि कुन्ती अविवाहित थी और समकालीन सामाजिक व्यवस्था में अविवाहित स्त्री को सन्तान को जन्म देने की अनुमति नही थी यहा तक कि अवांछित सन्तान को शिक्षा, सामाजिक सम्मान,से भी दूर रखा जाता था,और उसे एक सामाजिक कुरीति या घृणा की दृष्टि से देखा जाता था जो सूर्य पुत्र कर्ण के साथ हुआ। जबकि कर्ण उसी समकालीन समाज में एक सर्वश्रेष्ठ धनुरधर अर्जुन से किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं था, फिर भी वह इस कलंक से आजीवन जूझता रहा अपमानित होता रहा, क्योंकि वह सिर्फ कुन्ती की अनचाही सन्तान थी और उसे एक शूद्र ने पाला था यह कहानी सिर्फ कर्ण और कुन्ती पर खत्म नहीं होती

तब से लेकर आज तक ना जाने कितने कर्ण और कितनी कुन्तियां इस कलंक से कलंकित है आखिर हम इन परम्पराओं को कब तक ढोते रहेगे ? हमारा भारतीय समाज इस कुरीति से अभी उभर नही पाया है जहॉ हम एक भारतीय समाज, संस्कृति, की दुहाई (प्रशंसा) कर रहें है वहीं दूसरी ओर आये दिन सड़कों पर फैके जा रहे नवजात शिशुओं की ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता ? हमारे समाज में एक नवजात शिशु को कितनी आसानी से सड़कों पर फेंक देतें है या उनकी गर्भ में ही हत्या कर देते है सिर्फ समाज की नजरों में अपना सम्मान पाने के लिये, हमने यह कभी नहीं सोचा कि जिसकी हम हत्या कर रहें है, या सड़क पर फेंक रहें है वह भी एक समाज का हिस्सा है और सम्मान पानें का हकदार है, वह भी कभी अपना, परिवार, समाज, देश का नाम रोशन कर सकता है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें उस नवजात शिशु का कहॉ दोष है

आदर्श प्रारूप – भारतीय समाज में स्त्री के लिए एक आदर्श प्रारूप निर्धारित है प्रत्येक पुरूष पत्नि के रूप में उसी आर्दश को प्राप्त करना चाहता है.

eDl ccj– जिन्होने आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी उनका भी मानना था किसी भी आदर्श प्रारूप की सभी विषेशताओं का वास्तविकता से पूरा होना असम्भव है लेकिन भारतीय समाज आज भी पत्नि के रूप में या एक स्त्री को उसी दृष्टि से देखना चाहता है।

dky ekDl nf"Vdk.k– यह माना गया कि जब तक पुरूष को यह ज्ञात नहीं था कि बच्चें पैदा होने में उसकी भी भूमिका है तब तक वह परिवार या बच्चों का कोई भी दायित्व या कोई भी अधिकार अपने उपर लेने के को तैयार नहीं था। जिस क्षण उसे यह पता चला कि संतान उत्पत्ति में उसका महत्वपूर्ण योगदान है तब से लेकर आज तक वह संतान पर अपना हिस्सा अधिकार बनाये हुए है, ऐसा क्यों ?

भारतीय समाज में समाजीकरण के दो रूप देखने को मिलते है एक लड़को के लिए और एक

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019

लड़कियों के लिए जहॉ पर लड़कियों की बात आती है तो परिवार, समाज, के मन में कई सवाल पैदा होने लगते है, कि लड़की पराया धन है जबकि उसको अभी कोई मालूम नहीं हैं कि वह क्या है ? और जैसे वह युवा होती है तो इस बात को समझने लगती है कि उसे अपना कौमार्य अपने पति के लिये सुंरक्षित रखना है, और यदि वह अपना कौमार्य सुरक्षित नहीं रख पाती तो उसे हर तरफ से कलंकित किया जाता है और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है जिसकी चर्चा हम आगे करेगे ?

n[khe की सामूहिक चेतना को एडरनों ने सामाजिक आतंकवाद कहा है क्योंकि इसी सामाजिक आतंकवाद एवं डर के कारण वह अपने विवाह पूर्व यौन कृत्यों को छुपाना चाहती है और यौन कृत्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सन्तान को छुपाने या फैकने पर विवश होती है। दुर्खीम कहते है कि समाज कोई हो लेकिन उसमें जो सामाजिक चेतना है उसके अपने जो प्रतिमान है उसका अनुसरण करना समाज का एक दायित्व है विशेषकर स्त्रियों के लिये, वही दूसरी ओर दुर्खीम के सामूहिक चेतना की ओर इसारा करते हुए एडरनों का कहना है कि हमारे समाज में जो सामाजिक आतंकवाद के रूप में जो सामूहिक चेतना है उसका डर समाज में इस तरह व्याप्त है कि व्यक्ति जीवन भर उससे बचने का प्रयास करता रहता है ।

futh lEifRr d: :Ik esa L=h– समकालीन व्यवस्था से लेकर आज तक हम स्त्री को पराया धन समझते आये है ऐसा माना जाता है कि स्त्री एक घर, परिवार, समाज की इज्जत है जो पहले पिता की होती है और युवा अवस्था आते ही उसको पति या वर के रूप में हस्तान्रित कर दिया जाता है, एक स्त्री जो जन्म से ही उसके मन में यह भर दिया जाता है कि वह पराया धन है उसको अपने पति की सेवा करना है अपने सांस ससुर के घर जाना है जबकि वह यह भी जानती कि उसका पति कहां है कैसा है इसी वजह से स्त्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है क्योकि उसकी सुरक्षा पहले पिता के हाथ में और विवाह के बाद अपने पति के हाथ में होती है, औरत कभी नही चाहती कि वह अपनी संन्तान को फैके, या उसकी हत्या करे लेकिन, अगर विवाह से पूर्व वह यौन सम्बन्ध बनाती है या उसके यहॉ कोई सन्तान होती है और वह उस सन्तान का तिरष्कृत नही करती तो उसका पिता उसे त्याग देगा और होने वाला पति भी स्वीकार नही करेगा।

gjcVZ Cyqej ls tqMh izrhdkRed vUr% **कियावाद – सन् 1969 में प्रकाशित पुस्तक** flEcksfyd ,UVj,DlfuTe % ilZifDVo ,.M esFkM] जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति अपने जन्म से जो सीखता है उसमें सिम्बोलिक रूप अधिक महत्वपूर्ण है, यहीं सिम्बोलिक व्यक्ति के मन में समाज सममुदाय के प्रति आ जाते है जिससे वह उसी तरीके से एक दूसरे को देखना चाहते है, चाहे वह अवैद्य संन्तान की बात हो या फिर व्यक्ति/परिवार/समाज की हो। उसके मन में वहीं सिम्बोल बने रहते है, जो शुरू से देखता है परिवार में सिखाया जाता है, आज हमें सिम्बोल को छोडकर एक नवजात शिशु की जिन्दगी के बारे में सोचना होगा ।

प्यार और परवरिश– यहॉ प्यार और परवरिश दोनों शब्द अलग–अलग है जहॉ व्यक्ति प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता वहीं परवरिश करने से डरता है ऐसा क्यों ?

सिर्फ इसलिए कि प्यार उसकी जरूरत है और परवरिश उसकी बदनामी ? कई घटनायें ऐसी आपको देखने को मिल जायेगी जिससे आप प्यार और परवरिश को समझ पायेगे जैसे– विवाह के पूर्व एक स्त्री को कई प्रकार से लुभाया जाता है वादे कसमों में कोई कमी नहीं होती तरह–तरह से लुभाया जाता है और प्यार हो जाने पर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये व्यक्ति मजबूर कर देता है और वही स्त्री जब एक गर्भ धारण कर लेती है तो उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते है, घर, परिवार, समाज के प्रति ,और अपनी बदनामी से बचने के लिये उससे दूर भागने लगता है फिर वह सब भूल जाता है और सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने की सोचने लगता है, ऐसी स्तिथि में वही पुरूष उस स्त्री को या तो जान से मार डालता है या गर्व को मारने की कोशिष करता है, या बच्चे को फेकने के लिये और आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिये मजबूर करता है।

ये कैसा प्यार है जिसकी हम परवरिश नही कर सकते ,जिसकी हम हत्या करवाते है जिसको हम छुपाते है जिसे हम सड़को पर फेंक जाते है सिर्फ इसलिये कि समाज, परिवार में उसकी बदनामी होगी ?

iwthokn vkSj xjhch – अनचाही सन्तान को सड़को पर फैकना और उनकी हत्या में पूॅजीवाद और गरीबी दोनों जिम्मेदार है पूॅजीवाद इसलिये कि वह हर प्रकार से सक्षम है जिसकी वजह से वह समाज में

बदनामी के डर से आसानी से गर्भपात या वच्चे को तिरष्कृत कर देता है और समाज की नजरों में अपनी छवी बनाये रखता है । वही उसके विपरीत गरीबी जो एक अनचाही सन्तान को जन्म देने पर मजबूर हो जाती है क्योकि उसके पास ना तो धन है और न ही समाज में उसका उतना सम्मान जिससे कि गर्भपात करा सके इसलिए वह समाज के डर से और उसका पालन पोषण न कर पाने की वजह से मजबूरी में उसको यह कदम उठाने पडतें है क्योकि उसके कोई विकल्प नहीं है न तो उसके पास पूँजी है लगाने को और न ही उसे खिलाने के लिये खाना। इस स्थिति में वह क्या करे या तो उस गर्भ की हत्या करे या होने वाली सन्तान को त्यागे या फिर वह स्वंय आत्म हत्या कर ले ।

vukFkkJe– हमारे हिन्दुस्तान में न जाने ऐसे कितने अनाथाश्रम संचालित है जिनमें उन बच्चों को पाला जाता है जो अपने माता–पिता के प्यार से वंचित है भारतीय समाज व्यवस्था के अनुरूप अनाथ शब्द एक स्थिति तक ठीक है क्योंकि अनाथ होने के कई कारण हो सकते है, परन्तु जहां अवैद्य सन्तान की बात आती है तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते है जो कि व्यक्ति समाज एक हीन भावना की दृष्टि से देखता है क्योकि उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इस समाज के लिये जो यह कह सके कि हमारे माता–पिता का नाम ये है, और अनाथ का अर्थ ही होता है कि उसका इस समाजिक व्यस्था की दृष्टि से कोई सम्मान नही है उसका पालन पोषण करने वाला भी कोई नही हैं अर्थात् उसके माता–पिता या तो अज्ञात होते है या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, मृत्यु होने तक तो ठीक है परन्तू ऐसे कैसे हो सकता है जिसे हम अवैद्य संतान कहते कि वह माता जिसने अपने गर्भ में नौ माह खून से सींचने के बाद उसे सडक या अनाथाश्रम के हवाले करके उसको भूल जाये, और फिर यह कहा जाये कि इनके कोई माता–पिता नहीं है क्योंकि जो जीव जन्म लेता है उसका कोई न कोई माता–पिता तो होगा समाज की दृष्टि में चाहे वह बैद्य हो या अवैद्य यह सब सामाजिक दबाव के कारण होता है

फिर भी हमारे हिन्दुस्तान भारतीय समाज में ऐसे कितने लोग (परिवार) है जिनके पास सन्तान नहीं है और वह सन्तान पाने के लिये इकछुक नहीं है, और सन्तान पाने के लिए वह क्या नहीं करतें ? शायद ही ऐसे लोग (परिवार) होगे जो उगलियों पर गिने जा सकते है, जिन्होने इन बच्चों को पाला हो अगर यही सन्तान वे परिवार जिनके पास सन्तान नहीं है अपनी सन्तान की तरह रख ले और उसका पालन पोषण करे तो हम यहां समाज के दोहरे कलंक से बच सकते है एक तो वह जिसके पास सन्तान नहीं है और एक वह जिसके पास अपने माता–पिता की पहचान नहीं है। फिर मुझे नहीं लगता कि इन अनाथाश्रमों की आवश्यकता होगी लेकिन हमारी भारतीय समाज को यह सब मंजूर क्यों नहीं है ?

flXe.M QkbM कहता है कि व्यक्ति के अंदर इड, इगो, और सुपर इगो होता है। जिसका एक रूप व्यक्ति के सेक्स सम्बन्ध से लेकर गर्भधारण, और नवजात शिशु को फेकने में मिलता है, जब व्यक्ति सेक्स करता है तो आने वाले परिणाम के बारे में नहीं सोचता परन्तु जैसे ही एक स्त्री जब गर्भधारण कर लेती है तो उसके अंदर इगो, और सुपर इगो कार्य करने लगते है, और इसी वजह से समाज की नजरों में अपनी छबि बनाये रखने के लिए वह एक मासूम को त्याग देता है।

lekt dh lkp lhfer& साम्यवाद से लेकर आधुनिक समाज की सोच एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गई है जो एक भारतीय समाज पर प्रश्न चिन्ह खडा करती है ? जहॉ एक ओर समाज में अनचाहें गर्भ को धारण करने वाली स्त्री और संन्तान दोनों को घृणा की दृष्टि से देखते है एवं समाज के सामने उससे अच्छा व्यवहार नहीं करतें वहीं दूसरी ओर उसी समाज के लोग उस स्त्री को दूसरे तरीकें से समाज की नजरों से बचतें हुए अपनी संन्तुष्टि के लिए दवाव बनाते है और वह स्त्री न चाहते हुए भी इन कार्यो को मजबूर होती है क्योंकि उसे समाज में रहना है। जरा सोचिए जो नाजायज फायदा हम एक वेबश औरत का उठा रहें है उसी जगह अगर हमारी मॉ, बहिन या पत्नि होती तो हम क्या करते ?

आज के समाज की सोच को देखिये जहॉ एक तरफ समाज के एक व्यक्ति का एक्सिडेन्ट या गौहत्या हो जाता है चाहे हम उसे जानते हो या नहीं परन्तु वहॉ भीड़ जमा हो जाती है और बड़े–बड़े दंगे होने लगतें यहॉ तक की उस वाहन को जला दिया जाता है और दोषी व्यक्ति को पीटा जाता है पुलिस के हवाले किया जाता है और कानूनी कार्यवाही की जाती है। वही दूसरी ओर अगर किसी गांव के पास या पहाड़ में रेल्वे स्टेशन पर एक नवजात शिशु (जीवित/मृत) मिलने पर हम क्या करते है ? कुछ नहीं क्यों ? यहॉ तक कि बगैर प्रशासन के उसे वहॉ से उठाया भी नहीं जाता और समाज न ही समाज द्वारा यह जानने की कोशिश की जाती है कि यह नवजात शिशु किसका है।

सिर्फ इसलिये कि समाज की बदनामी होगी ?

ifo=rk& हमारे भारतीय समाज में पवित्रता को लेकर बहुत सवाल होते है जो आपको रामायण में सीता के प्रति पवित्रता को लेकर लगाये गए प्रश्न चिन्ह इस बात का प्रमाण है । हमारे समाज में पवित्रता का सम्बन्ध क्या सिर्फ स्त्रियों से है ? ऐसा क्यों ? क्या कभी हमने सोचा है कि जिस पवित्रता की बात हम कर रहें है उस पवित्रता से हम कितने पवित्र है या फिर कोसों दूर है। हमारे मन में ऐसे सवाल क्यों उठते है। आखिर स्त्री से ही पवित्रता की आशा क्यों रखते है हम पवित्र क्यों नहीं बनना चाहते ?

vkufud rduhfd – इसमें कोई सन्देह नही कि हमारा देश तकनीकि क्षेत्र में बहुत आगें है, और निरन्तर बढ़ता जा रहा है । लेकिन विकसित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, जैसे राज्यों में लिंग अनुपात कम क्यों है आधुनिक तकनीकि का जितना योगदान व्यक्ति /समाज के विकास में है उतना हीं इन नवजात शिशुओं के तिरष्कृत करने में भी जिम्मेदार है, इस तकनीकि के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना चाहता है यहॉ तक कि वह बच्चा भी अपनी इच्छा के अनुरूप चाहता है यह उस पर निर्भर करता है कि उसे लड़का चाहिऐ या लड़की, शासन द्वारा इस पर रोक लगाने के बावजूद भी इसका उपयोग आसानी से किया जा रहा है बस इसका नाम और स्वरूप बदल गया है।

yc ijh{k.k& जब कोई व्यक्ति गर्भ परीक्षण कराने जाता है तो उसको यह नहीं बताया जाता कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की यह एक अच्छी बात है क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है और दोषी पाये जाने पर सजा, और जुर्माना दोनो का प्रावधान है। परन्तु उसी जगह लैब परीक्षण के बाद भगवान को सम्बोन्धित करते हुए कहा जाता है कि, हाय, कृष्ण ने क्या वन्शी बजाई थी, लक्ष्मी की कृपा है, सीता दवे पॉव जा रही थी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति आसानी से समझ जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और सचेंत हो जाता है

Mk- ehuk{kh t0ih0 t vLirky Hkkiky& इनका मानना है कि पिछले 10 वर्षो में इलाज के लिये आई 100 महिलाओं में से 4 महिलाये ऐसी होती थी जो विवाह पूर्व गर्भ धारण से सम्बन्धित थी, वही आज यह संख्या बढ़कर 100 महिलाओं में से 10 महिलाये ऐसी आती है।

Ikke[k vkdM t k nfud l ekpkj i=k e

प्रकाशित होते रहें है–

19/08/2013 दमोह अस्पताल में शिशु को जन्म देने के बाद लावारिश छोड़ा

24/08/2013 छतरपुर में झाड़ियों के पीछे छोडा शिशु को

13/07/2013 दतिया रेल्वे स्टेशन पर छोड़ा शिशु को

07/09/2012 देवरी भगवान के मंदिर में छोड़ी एक कन्या

l jdkjh ;ktuk;– हमारे भारत देश या राज्य में ऐसी कितनी योजनायें है जो सिर्फ बच्चों के लिये विषेश रूप से लड़कियों के लिए ही चलाई जा रहीं है जैसे– लाड़ली लक्ष्मी योजना, धन लक्ष्मी योजना, गॉव की बेटी योजना, आगनबाड़ी केन्द्र, अनेक योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा बच्चों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ किसको मिलता है सिर्फ जिनके माता–पिता है या जिनके पीछे माता–पिता का नाम है विशेष कर पिता का नाम होना तो आवश्यक है, परन्तु जिन बच्चों को तिरष्कृत किया जाता है उनकें वारे में कभी सरकार नें सोचा है उनके लिये क्या सिर्फ अनाथाश्रम, या मौत, या समाज के धनी वर्ग, उद्योगपति जो चंदा के रूप में उस संस्था को थोड़ा बहुत पैसा या कपड़े दान के रूप में दे देते है, इन सबके लिये जिम्मेदार सरकार भी है। सरकार चाहे तो इन बच्चों को ले सकती है उसका पालन पोषण कर सकती है। मै चाहता हूॅ कि समाज को इस बारे में भी सोचना चाहियें ।

i l o ihMk dk Kku – ऐसा माना जात है कि जब स्त्री गर्भधारण के बाद प्रसव पीड़ा से जूझती है तो उसका पुनर्जन्म होता है, और कई बार कई मातायें, बहिने, इस पीड़ा से काल के गाल में समा जाती है, यह बात बिल्कुल सत्य है, परन्तु इतना कष्ट सहनें के बाद कोई भी स्त्री अपनी सन्तान को सड़कों पर फेंक दे यह सोचनें की बात है, कि आखिर ऐसा क्यों करती है, ऐसा नहीं कि वह अपनी सन्तान को अपना दूध नहीं पिला सकती ऐसा नहीं कि उसे वह पाल नहीं सकती, सिर्फ इसलिए कि समाज, समुदाय को जो पसंद है या समाज की जो रीति रिवाज है उसके अनुरूप ही उसको रहना पड़ेगा, ये हमारे भारतीय समाज की अवधारणा है। जो स्त्री को न चाहते हुए भी करना पड़ता है ।

मै जानना चाहता हूॅ कि अगर यही गर्भधारण महिला की जगह पुरूष करते होते तो क्या नवजात

शिशु को इतनी निर्ममता से सड़कों पर फेंक देते उसकी हत्या कर देते, नहीं क्योंकि अभी पुरूष, समाज, समुदाय को स्त्री, की पीड़ा, दर्द ,का अहसास नहीं है, जिस दिन पुरूष को स्त्री के दर्द का ज्ञान हो जायेगा, उस दिन हमारे समाज में स्त्रियों पर लगने वाले कलंक अपने आप समाप्त हो जायेगे । और नवजात शिशुओं को एक नई जिन्दगी मिलेगी समाज में रहनें का मौका मिलेगा।

lUnHk xUFk lph %&

- n lkb] ,-vkj- 1961 **रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, बम्बई पॉपुलर प्रकाशन**
- nc] ,l-**सी 1966 विकास का समाजशास्त्र वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली**
- 1989 vkoj ikLV gkeu ¶;pj] dkU lhDoU l **ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी रिवोल्यूशन न्यूयार्क,** nh Qh i l
- **1993, सोशल चेन्ज इन इण्डिया, काइसिस** ,.M jftfy;Ul] U; nygh] gj vkuUn **पब्लिकेश**
- Ahuja,mukesh, widos, New Age publication Delhi 1996
- Ahuja, Ram crime against women, Rawat publication, 1987
- Becker Howard S.,social problems : A modern Approach, John Wiley & sons , new York 1966

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019

'kktkiqj ftys esa efgyk m|ferk fodkl esa 'kkldh; ;kstuk,a ,oa xSj ljdkjh laxBuks dk ;ksxnku

Mk- जगदीश प्रसाद कुल्मी
अतिथि विद्वान् वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय नलखेडा जिला आगर मालवा

ÁLrkouk % हमारे समाज में आदिकाल से ही नारी की उपेक्षा होती चली आई हैं। जिसके कारण उसके सारे गुण और समाज के निर्माता के रुप में उसकी सारी योग्यताएँ समाप्त हो गई हैं। हमारी सभ्यता के आरंभ मे वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी। भारतीय समाज को चार वर्णो में बांटा गया था। ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंव शुद्र। इनमें केवल वैश्य ही व्यापार – व्यवसाय व उद्यम करने वाला होता था। वह जानता था कि समस्त व्यावसायिक जोखिम उसे ही उठाना हैं, एवं उद्यमी के सभी क्रियाकलापों व लाभ हानि की जिम्मेदारी भी उसकी ही हैं। आज समय बदल गया हैं। प्रतियोगिता के इस युग में पुरानी सभी मान्यताएँ एवं उनके अर्थ बदल गए हैं। वैश्य समूह या पूंजीपतियों की पारंपरिक शैली आज बदल रही हैं। पहले कुछ पूंजीपति ही उद्योगपति होते थे। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस दौड़ में शामिल होंने का समय आ गया हैं। अब उत्पादन के समस्त साधनों को इकट्ठा करके इनमें वैज्ञानिक समन्वय स्थापित करने वाला ही सही अर्थ में उद्योगपति, उद्यमी या साहसी कहा जाता हैं।

महिलाओं का आर्थिक विकास और कल्याण एक संवेदनशील और प्रगतिशील समाज की स्थापना के लिये आवश्यक हैं। महिलाओं के समुचित आर्थिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। महिलाएँ हमारी अर्थव्यवस्था की एक जरूरी उत्पादक शक्ति एवं संसाधन हैं। विकास में उनकी भूमिका, सामाजिक और आर्थिक विकास से सीधी जुड़ी हुई हैं। हमारे संविधान में महिलाओं को पुरूष के समान मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं। समय–समय पर इनके लिये बनाए गए कानूनों में इनके लिए संशोधन भी किये गए हैं और इनकी समीक्षा भी की गई हैं। अर्थात् सरकारी स्तर पर महिलाओं के हितों एवं अधिकारों कि रक्षा के लिये बार–बार प्रतिबद्धता दोहराई जा रही हैं, किन्तु महिलाओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता आज भी नही बन पाई हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान आर्थिक परिवेश एवं शासन–प्रशासन की महिला सशक्तिकरण की प्रभावी मंशा के मद्देनजर यह आवश्यक हो जाता हैं कि उनमें स्वरोजगार, कार्य की दशाओं एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रत्येक पहलू के संदर्भ में परिणाममूलक योजनाओं व नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन किया जाए ताकि वे भी मानव विकास की परिभाषा सार्थक कर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहभागी बन सके ।

अतः प्रस्तुत शोध–पत्र में शाजापुर जिले में महिला उद्यमिता विकास में शासकीय योजनाएँ एंव गैर सरकारी संगठनो के योगदान का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया। हमारे देश मे उद्योगों के लिए शासकीय योजनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हैं किन्तु विचारणीय प्रश्न यह होता हैं कि वास्तव में ये योजनाएँ अपने इस महत्वपूर्ण उद्देश्य मे कहाँ तक सफल हो सकी हैं या इनमें क्या कठिनाईयाँ या परेशानियाँ अथवा कमियाँ हैं। जिन्हें दुर करके कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सकता हैं। अतः शासकीय योजनाओं एवं गैर सरकारी संगठनो का शोध–पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत विवेचनाओं के संबंध में अध्ययन एवं समस्याओं का विश्लेषण कर यथोचित सुझाव इस अध्ययन द्वारा प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है ताकि महिला उद्यमिता एक प्रभावी आर्थिक विकास के स्त्रोत के रूप में योगदान दे सकें।

v/;;u dk mn~ns'; %&

प्रस्तुत शोध–पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1½ शाजापुर जिले में संचालित भासकीय योजनाएँ एवं गैर सरकारी संगठनो का महिला उद्यमिता विकास में योगदान का अध्ययन करना।

2½ शाजापुर जिले में महिला उद्यमिता का अध्ययन करना।

ifjdYiuk,¡ %&

परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ हैं पूर्व चिन्तन अर्थात् पहले से सोचा गया कोई विचार या चिन्तन। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह तर्कपूर्ण वाक्य है। अनुसंधान के दौरान इसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती हैं। यह सत्य भी सिद्ध हो सकती है ओर असत्य भी।

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019

ÁLrqr 'kks/k&i= esa fuEu ifjdYiuk dh xbZ gS&

1 शाजापुर जिले में संचालित शासकीय योजनाएँ एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महिला उद्यमियों की उद्यमिता के क्षेत्र में भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है।

v/;;u dh 'kks/k Áfof/k %& किसी भी अनुसंधान कार्य में उसकी सफलता के लिए यह आवश्यक हैं कि शोधकर्ता ने प्रचलित योग्य अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग किया हो तथा अपने लक्ष्य को वैज्ञानिक स्तर की कसौटी पर परखा हो। वर्तमान समय में सामाजिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक शोध की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते है। अतः प्रस्तुत शोध–पत्र को सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रमुख चरणों पर आधारित किया गया है।

ÁkFkfed leadks dk ,d=hdj.k %& ये वे मौलिक सूचनाऍ अथवा समंक होते है जो कि एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थलो पर जाकर विषय की समस्या से संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अथवा अनुसूची या प्रश्नावली की सहायता से एकत्रित करता हैं। प्राथमिक समंकों के एकत्रीकरण हेतु अध्ययन क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन इकाईयों का चयन निम्न स्तर पर किया गया –

जिले का चयन
– शाजापुर जिला वित्तिय संस्थाओं का चयन
– शासकीय संस्थाएँ
– अर्द्धशासकीय संस्थाएँ
– गैर सरकारी संगठन बैंको का चयन
– जिले में अग्रणी बैंक
– माइक्रो फाइनेंस कम्पनियाँ

lkexzh dk oxhZdj.k ,oa fo'ys"k.k %&प्राथमिक समंको के संकलन के बाद वर्गीकरण एवं सारणीयन कर तालिकाओं का निर्माण किया गया। तालिकाओं की सहायता से तथा मापदंडो के अनुसार बिंदु, दण्ड रेखा, वृत्तचित्र इत्यादि के द्वारा भोधतथ्यो का चित्रमय प्रदर्शन किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त समंको को सम्पादित कर अध्ययन की सुविधा, हेतु सरल व संक्षिप्त करने के लिए गुण व विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण व सारणीयन किया गया, तत्पश्चात् औसत दर, प्रतिशत विधि, विकास दर, प्रवृत्ति विश्लेशण, निर्देशांक, काई वर्ग परीक्षण तथा प्रतीपगमन मॉडल (t –test) आदि सांख्यिकीय तकनीको के आधार पर आवश्यकतानुसार समंको का विश्लेषण किया गया।

'kktkiqj ftys esa efgyk m|ferk fodkl dk vkfFkZd eY;kadu

शाजापुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिससे कि अधिक से अधिक महिलाएँ उद्यमिता के क्षेत्र में आए और आत्मनिर्भर बने। उद्यमिता विकास में संलग्न इन महिलाओं ने शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर विभिन्न उद्योग संचालित किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत ये महिलाएँ मुख्यतः कृषि एवं उससे संबन्धित व्यवसायों, घरेलु उद्योगों, पारिवारिक उद्योगों तथा उद्यमिता विकास से संबन्धित अन्य उद्योगों में अपनी संलग्नता के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

शाजापुर जिले में शासकीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कुल 200 महिला उद्यमियों का सर्वेक्षण किया गया हैं। सर्वेक्षण में शाजापुर जिले में आठ विकासखण्ड शाजापुर, मो. बड़ोदिया, शुजालपुर, कालापीपल, आगर, बड़ौद, सुसनेर तथा नलखेड़ा को शामिल किया गया हैं। प्रत्येक विकासखण्ड से 25–25 महिला उद्यमियों को सविचार निदर्शन पद्धति के आधार पर सर्वेक्षण के लिए चुना गया, तत्पश्चात् उनका सर्वेक्षण किया गया।

m|kx LFkkfir djus ds iwoZ efgyk m|fe;ksa dk okf"kZd vk; dk Lrj

शाजापुर जिले में शासकीय योजनाओं के माध्यम से उद्योग स्थापित करने के पूर्व सर्वेक्षित महिला उद्यमियों की वार्षिक आय के स्तर को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं –

Rkkfydk %& m|kx LFkkfir djus ds iwoZ efgyk m|fe;ksa dk okf"kZd vk; dk Lrj

fooj.k	fodkl[k.Mokj lo{kf{kr efgyk m|eh								ftyk 'kktkiqj	Áfr'kr
	'kktkiqj	Ekk- cMkfn;k	'kqtkyiqj	dkykihiy	vkxj	cMkn	lqlusj	uy[kMk		
0 - 25000	**2**	**4**	**-**	**1**	**-**	**-**	**2**	**1**	**10**	**5**

25000 - 50000	**8**	**14**	**5**	**5**	**7**	**7**	**9**	**7**	**62**	**31**
50000 - 75000	**13**	**4**	**5**	**16**	**14**	**14**	**8**	**12**	**86**	**43**
75000 - 100000	**2**	**3**	**15**	**3**	**4**	**4**	**7**	**5**	**42**	**21**
dqy	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**200**	**100**

L=ksr %& प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका से ज्ञात होता हैं कि शासकीय योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने के पूर्व 5 प्रतिशत महिला उद्यमियों की वार्षिक आय का स्तर 25,000 से कम, 31 प्रतिशत महिला उद्यमियों की वार्षिक आय का स्तर 25,000 से 50,000 , 44 प्रतिशत महिला उद्यमियों की वार्षिक आय का स्तर 50,000 से 75,000 तथा 21 प्रतिशत महिला उद्यमियों की वार्षिक आय का स्तर 75,000 से अधिक हैं। अतः स्पष्ट हैं कि उद्योग स्थापित करने के पूर्व अधिकांश महिला उद्यमियों की वार्षिक आय का स्तर 50,000 से 75,000 रू. के बीच हैं।

js[kkfp=

m|kx LFkkfir djus ds iwoZ efgyk m|fe;ksa dk okf"kZd vk; dk Lrj

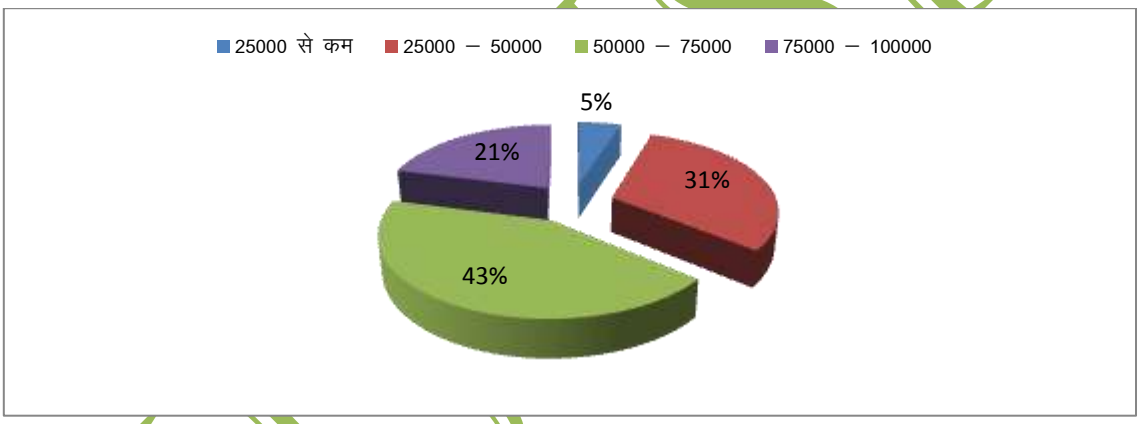

m|kx LFkkfir djus ds ckn vk; dk Lrj

शाजापुर जिले में शासकीय योजनाओं के माध्यम से उद्योग स्थापित करने के बाद महिला उद्यमियों के वार्षिक आय के स्तर को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं, जिससे ज्ञात होता हैं कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के बाद महिला उद्यमियों की आय का स्तर घटा हैं या बढ़ा हैं –

Rkfydk %& m|kx LFkkfir djus ds ckn efgyk m|fe;ksa dh okf"kZd vk; dk Lrj

fooj.k	fodkl [k.Mokj losZf{kr efgyk m|eh								ftyk 'kkTkkiqj	Áfr'kr
	'kkTkkiqj	Ekks- cMkfn;k	'kqtkyiqj	dkykihiy	vkxj	cMksn	lqlusj	uy[kMk		
0 - 20000	1	1	–	–	–	–	–	–	**2**	**1**
25000 - 50000	**3**	**4**	**5**	**4**	**2**	**4**	**4**	**4**	**30**	**15**
50000 - 75000	**7**	**13**	**6**	**5**	**15**	**6**	**13**	**5**	**70**	**35**
75000 - 100000	**14**	**7**	**14**	**16**	**8**	**15**	**8**	**16**	**98**	**49**

dqy	25	25	25	25	25	25	25	25	200	100

L=kr ¼& प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका से ज्ञात होता हैं कि शासकीय योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने के बाद 1 प्रतिशत महिला उद्यमियों की वार्षिक आय का स्तर 25,000 से कम, 15 प्रतिशत महिला उद्यमियों की वार्षिक आय का स्तर 25,000 से 50,000 , 35 प्रतिशत महिला उद्यमियों की वार्षिक आय का स्तर 75,000 रू. से अधिक हुआ हैं। अतः सर्वेक्षण से ज्ञात होता हैं कि उद्योग स्थापित करने के बाद अधिकांश महिला उद्यमियों की आय में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई हैं।

js[kkfp= m|kx LFkkfir djus ds ckn efgyk m|fe;ksa dh okf"kZd vk; dk Lrj

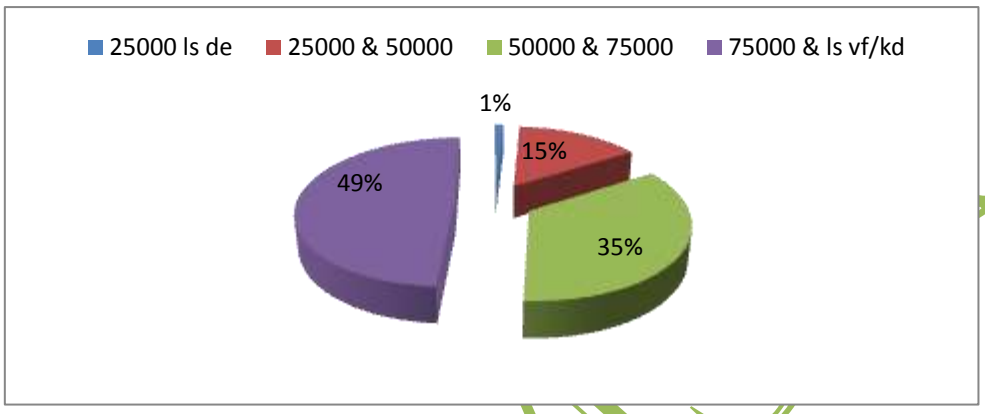

lokf{kr efgyk m|fe;ksa dh 0;; dh ensa

शाजापुर जिले में सर्वेक्षित 200 महिला उद्यमियों की व्यय की मदों को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं।

rkfydk : lokf{kr efgyk m|fe;ksa dh 0;; dh ensa

0;; dh ensa	'kkldh; ;kstukvksa dk ykHk ysus ds iwoZ 0;; ¼Áfr'kr esa½	'kkldh; ;kstukvksa dk ykHk ysus ds mijkUr 0;; ¼Áfr'kr esa½
अनिवार्य वस्तुएं	**45**	**40**
आरामदायक वस्तुएं	**35**	**32**
विलासिता की वस्तुएं	**20**	**28**
dqy	**100**	**100**

L=kr ¼& प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि शासकीय योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने के पूर्व सर्वेक्षित महिला उद्यमी अपनी आय का 45 प्रतिशत भाग अनिवार्य वस्तुओं पर, 35 प्रतिशत आरामदायक वस्तुओं पर तथा शेष 20 प्रतिशत विलासिता की वस्तुओं पर व्यय करती हैं। इसके अतिरिक्त शासकीय योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने के उपरान्त सर्वेक्षित महिला उद्यमी की आय में वृद्धि होने के कारण अपनी आय का 40 प्रतिशत भाग अनिवार्य वस्तुओं पर, 32 प्रतिशत आरामदायक वस्तुओं पर तथा भोष 28 प्रतिशत विलासिता की वस्तुओं पर व्यय करती हैं।

एंजिल के नियम से स्पष्ट होता हैं कि जैसे–जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती हैं वैसे–वैसे वह अपनी आय कम भाग अनिवार्य वस्तुओं पर तथा अधिक भाग आरामदायक वस्तुओं एवं विलासिता की वस्तुओं पर व्यय करता हैं।

ifjdYiuk ¼&

1- शाजापुर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमियों की उद्यमिता के क्षेत्र में

भागीदारी में बढोतरी हुई हैं।

ifjdYiuk ijh{k.k %& इस परिकल्पना में काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं। काई वर्ग में परिकल्पना परीक्षण का आधार यह हैं कि यदि काई वर्ग का परिगणित मूल्य, सारणी मूल्य से अधिक हैं तो शून्य परिकल्पना असत्य हो जाती हैं, अतः दोनों गुण स्वतंत्र नहीं हैं, इनमें संबंध हैं। इसके विपरीत यदि काई वर्ग का परिगणित मूल्य सारणी मूल्य से कम हैं तो शून्य परिकल्पना सत्य हो जाती हैं, अतः दोनों गुण स्वतंत्र हैं।

fo'ys"k.k %&

उपर्युक्त परिकल्पना के संबंध में सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए –

सुधार हुआ **(A) 114** सुधार नहीं हुआ **(a) 36**

योजना का लाभ लेने के बाद वार्षिक योजना का लाभ लेने के बाद वार्षिक

आय 50000 से अधिक **(B) 126** आय 50000 से कम **(b) 24**

	A	a	Total
B	(AB) 106	(aB) 20	(B) 126
b	(Ab) 08	(ab) 16	(b) 24
Total	(A) 114	(a) 36	N 150

bdkbZ oxZ lkj.kh

Fo	Fe	Fo – Fe	$(Fo – Fe)^2$	$(Fo - Fe)^2$ / Fe	
(AB)106	95.76	10.24	104.85	1.09	$(Fo – Fe)^2$ / Fe = 28.5
(aB)20	30.24	-10.24	104.85	3.46	
(Ab)8	18.24	-10.24	104.85	5.75	
(ab)16	5.76	10.24	104.85	18.2	
		0		28.5	

5% सार्थकता स्तर पर 1 स्वांतत्रय कोटि के लिए काई वर्ग का सारणी मूल्य X_t =3.841 हैं , तथा काई वर्ग का परिगणित मूल्य X_c = 28.5 प्राप्त होता हैं , अर्थात – 28.5 > 3.84 या $X_c > X_t$ अतः हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती हैं अतः दोनों गुण स्वतंत्र ना होकर आपस में संबन्धित हैं।

fuo:pu %& परिकल्पना के परीक्षण से स्पष्ट होता हैं कि शाजापुर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं के माध्यम से महिला उद्यमियों की उद्यमिता के क्षेत्र में भागीदारी में बढोतरी हुई हैं। अतः परिकल्पना स्वीकार योग्य हैं।

leL;k,¡ %& शोध–पत्र की विषय सामग्री के विश्लेषणात्मक अध्ययन के पश्चात ज्ञात होता हैं कि शाजापुर जिले में महिला आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों का महिला उद्यमियों की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं, परन्तु महिला उद्यमियों की शासकीय योजनाओं से संबन्धित अनेक समस्याएँ रही जो योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन में बाधक हैं। अतः प्रस्तुत अध्याय में महिला उद्यमिता से संबन्धित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित बिन्दूओं के आधार पर किया जा रहा हैं।

1- vf/kd mRrjnkf;Ro %& सर्वेक्षण से पता चलता हैं कि कुछ महिला उद्यमी पर उत्तरदायित्वों की अधिकता होने के कारण उनका राष्ट्रीय आय में योगदान नगण्य हैं।

2- vf/kd ikfjokfjd mRrjnkf;Ro %&

सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ हैं कि शाजापुर जिले में लगभग 57 प्रतिशत महिला उद्यमी विवाहित हैं, जिन्हें पारिवारिक दायित्वों के चलते अपने शिक्षा व रोजगार संबंधी विचारों महत्वाकांक्षाओं को त्यागना पड़ता हैं जिले में अधिकांश महिला उद्यमी विवाहित होने के कारण वे आर्थिक विकास में बड़ा योगदान नहीं दे पाती हैं।

3- nkgjk dk;Hkkj %& अधिकांश महिला उद्यमियों के सामने दोहरे कार्य भार की समस्या आती हैं। क्यों कि अधिकांश महिला उद्यमी विवाहित हैं जिसके कारण वह अपना पूरा समय उद्यमिता के क्षेत्र में न देकर कुछ समय घर पर परिवार के लिए देती हैं इसलिए उनका उद्यमिता के क्षेत्र में योगदान अधिक न होकर कम ही होता हैं।

4- lalk/kuksa dk vHkko %& ग्रामीण स्तर पर रोजगार के पर्याप्त संसाधन न होने से ग्रामीण उद्यमियों के समक्ष जीवन निर्वाह की समस्या सदैव बनी रहती हैं। उक्त समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह की गतिविधियों में महिला उद्यमियों की संलग्नता से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो उनकी कार्यक्षमता अनुकूल रूप से प्रभावित करेगा।

5- tkx:drk dh deh %& अधिकांश महिला उद्यमी अशिक्षित या कम पढ़ी लिखी हैं। अतः वे न तो उद्योग स्थापित करने की प्रकिया के संबंध में जानती हैं और न ही उद्यमिता से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में। अतः उनमें आज भी जागरूकता का अभाव पाया गया हैं।

lq>ko %& शाजापुर जिले में महिला उद्यमिता से संबन्धित समस्याओं के समाधान के लिए इस दिशा में सामाजिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता हैं। महिला उद्यमियों को शिक्षित तथा जागरूक करके एवं स्वयं महिलाओं के प्रयासों द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता हैं।

¼1½ वंछित शिक्षा उद्यमियों को शिक्षित किया जा सकता हैं, ताकि ये महिला उद्यमी रूढ़िवादिता को त्यागकर नवीन विचारधारा को अपनाने में समर्थ हो सकें।

¼2½ जागरुकता शिविरों के माध्यम से महिलाओं में नवीन ऊर्जा का संचार किया जा सकता हैं। उन्हें अपने अधिकारों तथा हितों की रक्षा के प्रति जाग्रत किया जा सकता हैं।

¼3½ नुक्कड़ नाटकों द्वारा से महिला उद्यमियों को दुनिया के परिदृश्य से अवगत कराया जा सकता हैं।

¼4½ महिलाओं को रोजगार में संलग्न करके ही इनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता हैं। इन्हें रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करके तथा वित्तिय सहायता आदि उपलब्ध कराकर इनक आर्थिक

स्थिति में सुधार लाया जा सकता हैं।

¼5½ महिला एवं पुरूषों की समाज सहभागिता को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से सांख्यिकी स्तर पर उनके कार्य की गणना की जाना चाहिए। परिणामतः इनमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।

fu"d"k :– विनियोग आर्थिक विकास का प्रमुख घटक हैं। यह सत्य हैं कि मानवीय संसाधनो के माध्यम से ही विनियोग की प्रकिया को आगे बढाया जा सकता हैं। महिलाएँ मानव संसाधनो मे आधे भाग की भागीदार हैं अतः विकास की अवधारणा का पूर्ण मूल्यांकन महिलाओं की भागीदारी के बिना नही किया जा सकता हैं यह कार्य महिलाएँ, महिला उद्यमिता का कार्य सफलता पूर्वक संपन्न करके कर सकती हैं। जो उनके और परिवार के विकास तथा देश के आर्थिक विकास मे महत्वर्पूण भूमिका को प्रतिपादित करता हैं।

सर्वेक्षण में यह में यह पाया गया कि स्वरोजगार योजनाओं का जिले के आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान हैं। आर्थिक विकास सभी प्रकार के विकासों पर निर्भर करता हैं जिसमें अन्य विकास, शैक्षणिक विकास, औद्योगिक विकास शामिल होते हैं।

आर्थिक विकास में स्वरोजगार योजनाओं का अप्रत्यक्ष रुप से योगदान होता हैं। स्वरोजगार योजनाओं मे प्रतिवर्ष एक निश्चित मात्रा में शिक्षित बेरोजगारों को शासन के माध्यम से स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा इन योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। बेरोजगारों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती हैं। सभी बेरोजगार योजनओं से लाभ नही ले पाते हैं। शासन के द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं जिले की लीड बैंक के माध्यम से किया

जाता हैं। ऋण वितरित करना बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समन्वयक की भूमिका निभाता हैं। शासन के अन्य विभाग भी इसमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि महिला उद्यमियों को अपने परिवार व उद्योग स्थल पर अनेक प्रकार की समस्याओं के बीच सामंजस्य बिठाते हुए कार्य करना होता हैं। अतः यदि इस अध्ययन में प्रयुक्त किये गए मौखिक तथा व्यवसायिक सुझावों को अमल में लाया जाता हैं तो निश्चित रूप से महिलाएँ अपनी समस्याओं का धीर–धीरे समाधान कर सकेगी एवं शासकीय योजनाएँ भी वास्तविकताओं के धरातल पर फलीभूत हो सकेगी।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता हैं कि महिलाएँ अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागरूक हो, उनमें आत्मविश्वास और आत्मचेतना की प्रवृति विकसित हो ताकि वे उचित आय प्राप्त कर पारिवारिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के साथ–साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। इस हेतु निचले स्तर से उपरी स्तर तक बेहतर प्रबंधन एवं क्रियात्मकता के स्तर पर गुणात्मक सुधार की आवश्यकता हैं।

lnHk lph

1. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ, (2007), सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. जैन बी. एम., (1987), शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीक, रीसर्च पब्लिकेशन ,नई दिल्ली।
3. कोठारी सी आर (1999) रिसर्च मेथडोलॉजी एंड टेक्निक्स, विश्वास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
4. श्रमशक्ति (1988), रिपोर्ट ऑफ दि नेशनल कमीशन आन सेल्फ एम्पलॉयड वूमेन इन दि इन्फार्मल सेक्टर, नई दिल्ली।
5. मेहता ए. सी. (2001), साक्षरता पर प्राथमिक शिक्षा का प्रभाव, जनगणना 2001 के प्रारंभिक ऑकड़ों का विश्लेषण, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोग और प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
6. द्वितिय श्रम आयोग की रिपोर्ट (2003), श्रम जगत, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा।
7. झाबवाला रेनाना, सिन्हा शालिनी (2001), सोशल सेक्युरिटि फॉर वूमेन वर्कर्स इन द अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर, द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकॉनामिक्स, वाल्यूम 44, नं. 4।
8. भारत की जनगणना (2001) म. प्र. श्रंखला – 13, प्राथमिक जनगणना सार, जनगणना निदेशालय म. प्र. भाग 2।
9. उद्यम मार्गदर्शिका,2010 उद्यमिता विकास केंद्र म.प्र सेडमेप भोपाल
10. जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, शाजापुर
11. जिला पंचायत ग्रामीण विकास कार्यालय, शाजापुर
12. जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय, शाजपुर
13. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ,जिला पंचायत, शाजापुर
14. जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय, शाजापुर
15. बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी बैंक जिला शाजपुर
16. जिला परियोजनाधिकारी समस्त विकासखण्ड, जिला शाजपुर
17. जन अभियान परिषद, जिला पंचायत, शाजापुर
18. जिला सांख्यिकीय कार्यालय,जिला शाजापुर

UIJMSR

vkokxeu d lk/kuk dk fodkl cxk tutkfr;k dk iokl**
¼e.Myk ftyk d fo'k"k lnHk e½

Mk- T;kfr flg
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र शास. महाविद्यालय नैनपुर जिला–मण्डला

iLrkouk&, क स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। मनुश्य स्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान आवाजाही करते हैं। अकसर आवाजाही लम्बी दूरी का ही होता है और वह घरेलू देश से दूसरे देश तक ही नहीं बल्कि आंतरिक पलायन भी होता हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपने देश में ही रहना पसंद करते हैं। प्रवास एक व्यक्ति के रूप में, परिवार, विशाल समूह के रूप में होता है।

हमारे देश के एक अरब 2 करोड़ लोगों में से करीब 30 प्रतिशत यानी 30 करोड़ 70 लाख लोगों के नाम प्रवासी (जन्म स्थान के आधार पर) के रूप में दर्ज है। जनगणना के समय में लोगों की गिनती उनके जन्म स्थान के अतिरिक्त अन्य जगहों पर होती है तो उन्हें प्रवासी की श्रेणी में रखा जाता है।

सन् 2001 की जनगणना में 30 प्रतिशत का आँकड़ा (जम्मू–क मीर को छोड़कर), 1991 की जनगणना के 27.4 प्रतिशत से अधिक है। वास्तव में पिछले कई दशकों से इन प्रवासी लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 1961 तथा 2001 की जनगणना की तुलना में प्रवासी लोग 1961 में 14 करोड़ 40 लाख थी जबकि 2001 में संख्या 30 करोड़ 70 लाख हो गई पिछले दशक में 1991–2001 के बीच इन प्रवासी लोगों की संख्या में 32.9 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के सबसे जटिल अपव्ययों में से एक है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का चलन बहुधा राजनीतिक सीमाओं के परे, स्थाई या अर्द्ध–स्थाई आवास लेने के लिये होता है ताकि बेहतर आर्थिक अवसरों कर प्राप्ति हो सकें।

भारत एक विकासशील देश है विश्व में जनजातीय आबादी की दृष्टि से ''भारत'' अफ्रीका के पश्चात द्वितीय क्रम पर है ऐसा विश्वास किये जाना भी भारत के लिये गर्व का विशय है कि ये जनजातियाँ भारतीय प्रायद्वीप की ही मूल आदिवासी है। उल्लेख है कि हमारे देश का भारत नाम भी ''भारत जनजाति'' से ही उद्धृत है।

भारत में लगभग 700 से अधिक जनजातियाँ समूह हैं। वर्तमान में जनजातियों का पलायन ज्यादा मात्रा में होने लगे हैं। वे रोजगार की तलाश में अपने मूल निवास से पलायन करते है। पहाडों, जंगलों में रहने वाले ये जनजातियाँ कठोर परिश्रम करती हैं किन्तु उसके पश्चात भी उन्हें उनके कार्यो का प्रतिफल नहीं मिल पाता है। मध्यप्रदेश की ही एक जनजाति बैगा हैं जो पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है वह भी पलायन के लिये मजबूर हैं।

बैगा आदिवासी मध्यप्रदेश के डिंडौरी, मंडला, बालाघाट व शहडोल जिलों में पाये जाते हैं। इस दृष्टि से बैगा मध्यप्रदेश के मूल आदिवासी भी कहे जाते हैं।

बैगा के करीब–करीब सभी पडोसी कबीलों यथा, गोंड़, कोल, प्रधान, सौर आदि में इनका स्थान सबसे ऊँचा है। इनमें से अधिकतर कबीलों के लिये बैगा पुरोहित या पुजारी की हैसियत रखते हैं इन कबीलों में यह वि वास है कि बैगा अलौकिक शक्तियों पर प्रभुत्व रखता है। नस्ली विचार से बैगा का संबंध कोल, मुण्डा और द्रविड़ नस्लों से भी जान पड़ता है। इस प्रकार इनका संबंध मध्यप्रदेश के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बहुत से काबाइली तथा गैर काबाइली लोगों से जुड़ जाता है।

''बैगा'' जनजाति को मध्यप्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति घोशित किया गया है सन् 1976 में देश की 76 विशेष आदिम जनजाति समुदायों में बैगाओं को भी सम्मिलित किया गया।

मध्यप्रदेश अंग्रेजी शासन काल में सेन्ट्रल प्रॉविसेंज था। सेन्ट्रल प्रॉविसेंज में रहने वाले बहुत से आदिवासी समुदायों में बैगा भी एक था। पहली जनगणना 1866 में हुई तब सेन्ट्रल प्रॉविसेंज की 90 लाख जनसंख्या का पाँचवा हिस्सा मूल निवासियों व पहाड़ी आदिवासियों का था, इन आदिवासियों में गोंड़ों की संख्या लगभग तीन चौथाई थी। बाकी में बैगा, कोरकू, भील, कोल और दूसरे आदिवासी शामिल थे। 1986 की प्रांतीय जनगणना में बैगाओं की संख्या लगभग 16,000 थी। 1869 में 18,000 के लगभग अधिकांश बैगा मण्डला और सिवनी जिलों के पूर्वी हिस्से में रहते थे।

v/;;u dk mnns';&

1. बैगा जनजातियों में प्रवास की स्थिति को देखना है।
2. आवागमन के साधनों से प्रवासित बैगाओं का

प्रवासित स्थान देखना है।

'kks/k izfof/k& तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से किया गया है। व्यक्तिगत साक्षात्कार अवलोकन, अनौपचारिक वार्तालाप, जनजातियों से संबंधित उपलब्ध साहित्य, सरकारी गजेटियर से सूचनाओं का संकलन किया गया।

मध्यप्रदेश में बैगा जनजाति की जनसंख्या स्थिति ग्रामवार, परिवार महिला एवं पुरूष जनसंख्या निम्नानुसार है–

e/;izns'k esa cSxk tutkrh; tula[;k

ftyk	xzkeksa dh la[;k	ifjokj dh la[;k	पुरूशों की la[;k	efgykvksa dh la[;k	dqy la[;k
डिंडौरी	157	5213	9107	9017	18124
मण्डला	308	5438	13453	13277	26730
बालाघाट	189	2999	6940	7017	13957
भाहडोल	104	4873	11181	10850	22031
उमरिया	183	4894	12145	11600	23745
dqy	941	23417	152826	51761	104587

स्त्रोत– प्रकृतिपुत्र बैगा, डॉ. विजय चौरसिया 07.08.2009

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 5 जिलों के 941 ग्रामों में 23417 परिवारों रहते हैं जिसमें 152826 पुरूश तथा 51761 महिलाओं की संख्या है।

मण्डला जिले में गोंड, बैगा, भारिया, अगरिया, भाडिया जनजातियाँ निवास करती हैं। मण्डला जिले में 57.9 फीसदी आबादी अनुसूचित जनजातियाँ की है इस जिले की तहसीलें की 9 विकासखण्डों में मण्डला,

मोहगाँव, घुघरी, नैनपुर, बिछिया, मवई और निवास में ये जनजातियाँ निवासरत है।

मण्डला जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 511798 कुल 57.4 प्रतिशत है जिसमें पुरूश 252350 है और महिलाएँ 259488 हैं।

मण्डला जिले में बैगा जनजातीय जनसंख्या–

बैगा परिवारों की वर्श 1992–93 वर्श 2004–05 में कराये गये बेस लाईन अनुसार विकासखण्डवार जनसंख्या की जानकारी निम्न तालिका से स्पष्ट है–

e.Myk ftys esa cSxk tutkrh; tula[;k

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	बैगा परिवार की संख्या	पुरूश संख्या	महिला संख्या	कुल बैगा संख्या
1.	मण्डला	34	29	950	2,115	2,238	4,353
2.	नैनपुर	06	04	105	216	217	433
3.	घुघरी	49	37	1,072	2,351	2,362	4,713
4.	बिछिया	45	30	1,383	2,812	2,813	5,625
5.	मवई	24	17	590	1,406	1,396	2,802
6.	मोहगांव	37	26	1,209	2,417	2,405	4,822
7.	निवास	7	7	395	855	889	1,744
8.	नारायणगंज	31	24	779	1558	1,680	3,238
9.	बीजाडांडी	15	14	523	1109	1121	2,230
	योग	248	188	7]006	14]839	15121	29]960

स्त्रोत– बैगा विकास प्राधिकरण मण्डला

उपर्युक्त जालिका से स्पष्ट है कि मंडला जिले के 9 विकासखण्डों में 248 ग्राम हैं जिसमें 188 ग्राम पंचायतें हैं इसमें 7,006 बैगा परिवारों की संख्या है जिसमें 14,839 पुरूष तथा 15,121 महिला की संख्या है इस तरह कुल 29,960 बैगा की जनसंख्या है।

मण्डला जिले के बैगा परिवारों पर संचार का प्रभाव परिलक्षित होता है संचार के प्रभाव से ये अपने जन्मस्थान को छोडकर कुछ समय, लम्बे समय और बीच–बीच में शहरों की और पलायन करते है पूरे वर्श भर इन्हें अपने गाँव में कार्य नही मिलता है इसलिए फसल कटने के बाद ये शहरों की और पलायन करते है। रेल, सडक, परिवहन, अपने वाहन आदि की सुविधा होने से ये अब अपने जन्म स्थान को छोडकर पलायन करते हैं।

मण्डला जिले के बैगा बाहुल्य क्षेत्र के उन गाँवो का चयन जहां 60 प्रतिशत से अधिक बैगा निवास करते है इन गाँवों के 500 परिवारों का अध्ययन किया गया जिसमें प्रवास के नतीजे निम्नानुसार आये हैं।

i;ok l LFkku

क्र.	शहर	उत्तरदाताओं कर संख्या	प्रतिशत
1.	जबलपुर	102	20.4
2.	रायपुर	76	15.2
3.	नागपुर	51	10.2
4.	भिलाई	07	1.4
5.	हैदराबाद	30	6.0
6.	कही नहीं जाते (गांव में ही रहकर मजदूरी या अन्य कार्य करते हैं।)	234	46.8
योग		500	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 500 उत्तरदाताओं में 20.4 प्रतिशत उत्तरदाता मजदूरी करने जबलपुर जाते हैं। 15.2 प्रतिशत उत्तरदाता रायपुर जाते हैं, 10.2 प्रतिशत उत्तरदाता नागपुर जाते हैं। 1.4 प्रतिशत उत्तरदाता भिलाई जाते हैं और 6.0 प्रतिशत उत्तरदाता हैदराबाद मजदूरी या अन्य कार्य करते हैं।

तथ्यों को पुनः विश्लेषित करने तथा अनौपचारिक वार्तालाप से स्पष्ट हुआ कि उत्तरदाताओं में सबसे ज्यादा जबलपुर जाते है क्योकि जबलुपर से मण्डला नजदीक है तथा यातायात के साधन भी सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। 15.2 प्रतिशत रायपुर (छत्तीसगढ़) जाते है, 10.2 नागपुर (महाराष्ट्र) जाते हैं,

6.0 प्रतिशत उत्तरदाता हैदराबाद जाते हैं। 46.8 प्रतिशत उत्तरदाता अपने गाँव या गाँव के आसपास ही

क्र.	जन्म स्थान का छोडते है	उत्तरदाताओं कर संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	266	53.2
2.	नहीं	234	46.8

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 53.2 प्रतिशत उत्तरदाता अपने जन्मस्थान को छोडते है तथा 46.8 प्रतिशत नहीं छोडते। जन्म स्थान को छोडने का कारण गाँव में मजदूरी का काम नही मिलता है तथा बाहर ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तथा नौकरी के कारण भी जन्म स्थान को छोडते हैं।

मण्डला जिले के बैगाओं का कहना है कि इनको जहाँ भी कार्य मिलता है वे वहाँ चले जाते है अधिकतर वे शहरों की और जाते हैं जहाँ इनको कार्य मिल जाता है।

काम करते हैं जहाँ सुबह जाकर शाम को घर आ जाते हैं। 53.2

प्रतिशत उत्तरदाता जन्मस्थान को हमेशा के लिये नहीं छोड़ते बल्कि काम करके कमाने के बाद त्यौहारों में फसल कटाई में घर आ जाते हैं।

fu"d"kZ–प्रस्तुत अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि आवागमन के साधनों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की पहुँच को सुलभ बना दिया जिससे प्रवास की दर बड गई है। तथा ज्यादा पैसा कमाने की चाह और शहरों का आकर्शण भी प्रवास के लिये उत्तरदायी है।

UIJMSR

l anHkZ xzaFk l wph%&

1. https://www.scotbuzz.org>pravas
2. www.philoid.com>ncert>lhgy202
3. https//hi Wikipedia.org>wiki
4. https://m.wikipedia.org.wiki
5. https://www.sahbhagi.org> प्रवास
6. Research journal of Humanities and social science
7. श्रीवास्तव, प्रदीप, मुखर्जी, भवानी एम, भारत का जनजातीय जीवन
8. उप्रेती, डॉ. हरि चन्द्र भारतीय जनजातियाँ
9. दुबे, डॉ. उमेश कुमार, बैगा जनजाति विकास के नवीन आयाम
10. सिद्धिकी, डॉ. एम.के. भारत के आदिवासी
11. प्रकृति पुत्र बैगा, डॉ. विजय चौरसिया
12. सामान्य अध्ययन 2009 म.प्र. हिन्दी गंथ अकादमी

UIJMSR

'kSf{kd osc jsfM;ks % Kku /kkjk] bXuw ds lanHkZ esa

âns'k JhokLro
शोध छात्र,पत्रकारिता एवं जन संचार मा.गां.चि.ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट(म.प्र.)

lkjka'k% दूरस्थ और मुक्त शिक्षा में अग्रणी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने हेतु हमेशा से नए प्रयोग किए हैं सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के विकास एवं विस्तार और शिक्षा क्षेत्र में समावेश होने के कारण इग्नू ने इसके भी अनुप्रयोग किए। मुद्रण, श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों का प्रयोग करते हुए इग्नू में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच भौगोलिक अंतर को कम किया है। मुद्रण, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी, अंतर क्रियात्मक परामर्श सत्र आदि माध्यमों का दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में समावेश करते हुए शैक्षिक संचार को प्रोत्साहित किया है इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्ष 2016 में शैक्षिक वेब रेडियो ज्ञान धारा का आरंभ किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में वेब रेडियो के महत्व एवं प्रासंगिकता के बारे में विमर्श किया गया है तथा इग्नू द्वारा संचालित वेब रेडियो ज्ञान धारा का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।

iLrkouk% कम्पूटर ,मोबाइल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के अविष्कार , संचार के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हुए है ,इनकी वजह से ई–संचार के द्वारा लोगों और समूहों के बीच आपसी संवाद का प्रचलन बड़ा है आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण संचार में "दूरी" और "समय" ये दोनों बाधाएं लगभग समाप्त हो गई है,इनके द्वारा पूरे विश्व में त्वरित संचार किया जा सकता है, इंटरनेट के द्वारा विद्यार्थिओं को प्रदान कि जाने वाली विषयवस्तु त्वरित भेजी जा सकती है साथ ही इसका भंडारण होने से कभी भी देखा और पढ़ा जा सकता है

सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश आधुनिक समाज के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रक्रिया में हो रहा है।

दूरस्थ शिक्षा पद्धति शब्द स्वतः ही स्पष्ट करता है की दूर से दी जाने वाली शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि वाले तथा भौगोलिक रूप से अलग–अलग स्थानों पर उपस्थित छात्रों को आवश्यकतानुसार शिक्षा और कौशल प्रदान करने का माध्यम है दूरस्थ शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण है शिक्षक और विद्यार्थियों का आमने सामने ना होना अर्थात भौगोलिक अलगाव,और जब शिक्षक और विद्यार्थी अलग अलग होते हैं तब उनके बीच संवाद के लिए संचार माध्यमों पर निर्भर होना होता है।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में कई मापदंड स्थापित करने वाले विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में हुई इग्नू प्रोफाइल 2017 के अनुसार वर्तमान में इग्नोर 232 पाठ्य कार्यक्रम चला रहा है इसमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 3032448, अध्ययन पीठ 21, विभिन्न स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या 67 उसके अंतर्गत विद्यार्थी सहायता केंद्रों की संख्या 3136 एवं परामर्श दाताओं की संख्या 5000 है दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो 2017 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा में लगभग 4000000 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी इग्नू में प्रवेश लेते हैं ।

की एवं लैरीसेला 2015 में उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के इंटरनेट तथा आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर शोध पत्र प्रस्तुत किया और पाया कि संचार माध्यम उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उन्होंने पाया कि 60: विद्यार्थी तीन या चार से ज्यादा संचार यंत्रों का उपयोग करते हैं और अकादमिक सामग्री को एक किसी भी स्थान एवं समय पर अध्यन कर लेते हैं 13 देशों के 110000 प्रतिभागियों पर सर्वेक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि विद्यार्थी अपने निर्देशक से 70% ईमेल 50% मुद्रित संदेश 40% त्वरित संदेश तथा 40% वीडियो चैट का प्रयोग करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड काम के अनुसार भारत में प्रत्येक माह 10 लाख के आसपास इंटरनेट उपयोग कर्ता है जुड जाते हैं तथा ट्राई के अनुसार 2017 में 420 लाख इंटरनेट उपभोक्ता भारत में थे तथा वर्ष 2020 में इनकी संख्या 730 लाख तक हो सकती है देश में बढ़ते इंटरनेट के प्रभाव को देखते हुए भी इग्नू ने भी इसका अनुप्रयोग करते हुए प्रयोगिक तौर पर वेब आधारित रेडियो की शुरुआत की जिसमें रेडियो के द्वारा जीवंत व्याख्यानों का वेब स्टिंमिग के माध्यम से वेबकास्टिंग किया गया है।

mís';% प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

रेडियो और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के बीच संबंध का अध्ययन करना

रेडियो और दूरस्थ शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना

इग्नू द्वारा संचालित वेव रेडियो का ब्यौरा प्रस्तुत करना

'kk/k çfof/k प्रस्तुत अध्ययन अन्वेषी प्रकृति का है प्रश्नों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक माध्यम से किया गया है प्राथमिक तत्वों का संकलन साक्षात्कार एवं अवलोकन पर आधारित है जिसमें वे वीडियो में सम्मिलित प्रस्तुतकर्ता अभियंता एवं अन्य कर्मियों से साक्षात्कार द्वारा सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया है जिसमें सिर्फ इग्नू कि कर्मचारियों को ही शामिल किया गया है द्वितीयक तो का संकलन रेडियो एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर लिखे गए शोध पत्रों से लिया गया है रेडियो एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भौगोलिक अंतर होता है अर्थात दोनों आमने सामने नहीं होते हैं और शिक्षा में दोनों के बीच संवाद आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के भौतिक अंतर को विभिन्न संचार माध्यमों से कम किया जा सकता है इस दिशा में इग्नू ने अपने पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है श्रव्य माध्यम का उपयोग करते हुए इग्नू ने रेडियो के प्रयोग से पूर्व ऑडियो कैसेट के माध्यम से क्षेत्रीय केंद्रों में विद्यार्थियों का विषय वस्तु की प्रस्तुति टेप रिकॉर्डर के द्वारा प्रदान की थी वर्ष 1998 में इग्नू ने रेडियो का प्रयोग शिक्षा हेतु आरंभ किया जिसमें प्रयोगिक रूप से अंतर क्रियात्मक वीडियो परामर्श सत्र का प्रसारण भोपाल आकाशवाणी केंद्र से किया गया तत्पश्चात 1999 में दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए जीवंत अतःक्रियात्मक परामर्श सत्र का प्रसारण शुरू किया गया जिसमें विद्यार्थी दूरभाष के माध्यम से प्रश्नों को पूछ कर शंका का समाधान करते थे। एस कुमार 2001

अंतः क्रियात्मक रेडियो परामर्श सत्रों पर किए गए अध्ययनों में चौधरी व बंसल 2000 और सुकुमार 2001 नें यह पाया की यह काफी प्रभावी एवं रोचक रहे हैं पिछले तीन दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा इंटरनेट के विस्तार से प्रभावित होकर इग्नू ने वेब रेडियो पर अंतर क्रियात्मक परामर्श सत्रों का वेबकास्ट करने का निर्णय लिया, वेब रेडियो या इंटरनेट रेडियो या रेडियो इंटरनेट नेटवर्क द्वारा वेबकास्ट की जाने वाली श्रव्य सेवा है यह बेताब द्वारा संप्रेषित नहीं होती बल्कि यह निरंतरीय संचार वेबकास्ट के द्वारा होती है जिसमें श्रोता अपनी यंत्र जैसे कंप्यूटर मोबाइल या अन्य इंटरनेट प्राप्त करने वाले माध्यमों के द्वारा सुन सकता है वेब रेडियो जिसमें ध्वनि संकेतों को इंटरनेट के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है जिसे वेबकास्टिंग कहते हैं इसके लिए इंटरनेट और ऐसा यंत्र जिसमें विशेष तरह का सॉफ्टवेयर को जो इंटरनेट चला सके, की आवश्यकता होती है।

Kku /kkjk

चित्र स्त्रोत्रः www.ignouonline.ac.in/gyandhara

इग्नू द्वारा इग्नू के छात्रों तथा आम जनों के लिए अक्टूबर 2016 में ज्ञान धारा नामक वेब रेडियो का आरंभ हुआ यह इंटरनेट आधारित अंतर क्रियात्मक परामर्श रेडियो सेवा है जिसे डब्लू डब्लू डब्लू डॉट इग्नू ऑनलाइन एट द रेट इग्नू डॉट एसी डॉट इन फ्लैश धारा के आईपी ऐड्रेस डालकर सुना जा सकता है इग्नू के शैक्षिक रेडियो प्रसारण ज्ञानवाणी के अंतर्गत यह 2 घंटे का सजीव प्रसारण सत्र है जिसका समय प्रातः 11:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे तक होता है जिसमें एक 1 घंटे के 2 सत्र होते हैं जिसे वेबकास्टिंग के अलावा एफएम 105.4 मेगा हर्ट्ज आवृती पर सुना जा सकता है सही समय पर ज्ञानवाणी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम प्रसारित करता है तथा ज्ञान वाणी के प्रसारण का समय रात 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक निर्धारित है इग्नू प्रोफाइल, 2017, के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा और अध्ययन हेतु बहुचैनल एवं अध्ययन अध्यापन के लिए कई घटकों का इस्तेमाल करता है इसमें स्व शिक्षण मुद्रित और ऑडियो वीडियो

सामग्री, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट आधारित अनुप्रयोग प्रमुख है निर्माण और प्रसारण का केंद्र है जिसमें ज्ञानधारा नाम का वेब रेडियो का अनुप्रयोग चल रहा है जो कि एक अंतर क्रियात्मक परामर्श सत्र है जिस का कार्यकाल 2 घंटे का है जिसमें 1–1 घंटे के 2 परामर्श सत्र होते हैं यह जीवंत प्रसारण है जिसमें छात्र अपने विषय विशेषज्ञ से सीधे संवाद कर सकते हैं यह संवाद टेलीफोन चैट एवं ईमेल के माध्यम से हो सकता है।

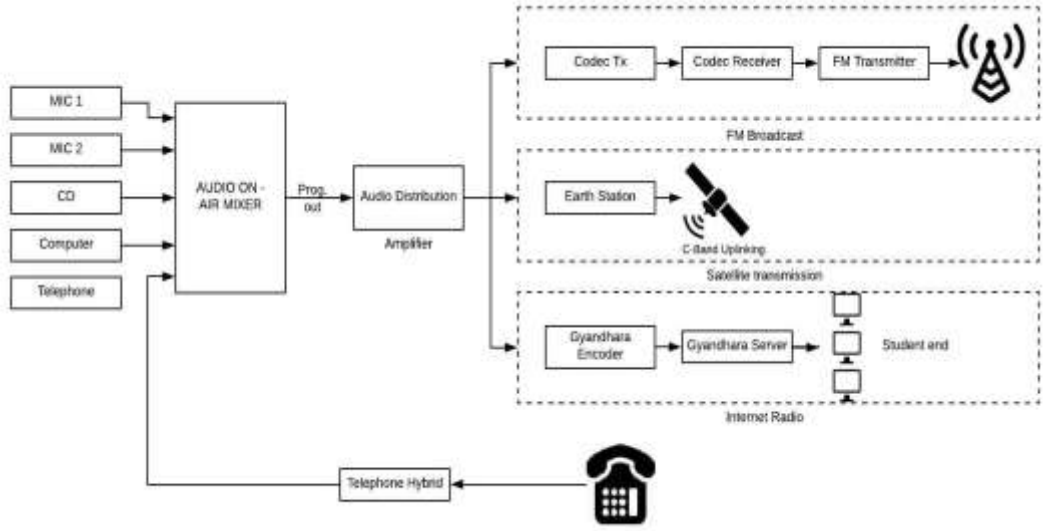

चित्र 1:ज्ञानधारा / ज्ञानवाणी का ब्लाक आरेख। स्त्रोत्रः अशीष विजयवर्गीय, सहा. अभियंता,

ज्ञान धारा के अंतर्गत प्रसारित किए गए सजीव कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर उनका उन्हें प्रसारण सायं 5:30 से 7:30 तक किया जाता है इसके अलावा प्रत्येक गुरुवार को शाम 4:00 बजे से 5:00 बजे तक विशेष सजीव कार्यक्रम का प्रसारण होता है जिसमें विषय के अंतर्गत सामान्य जानकारियां प्रस्तुत की जाती है इस प्रकार जान धारा पर लगभग 1 माह में 64 कार्यक्रमों का प्रसारण होता है।

Kku /kkjk çlkj.k ,oa rduhdh fooj.k

प्रसारण स्वरूपः अंतर क्रियात्मक सत्र

कार्यकालः 2 घंटे

आवृत्तिः दो कार्यक्रम प्रतिदिन

पहला कार्यक्रम प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे तक

दूसरा कार्यक्रम अपराहन 12:00 बजे से 1:00 बजे तक

दोनों कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण सायं 5:30 से 7:30

प्रत्येक गुरुवार सायं 4:00 से 5:00 भाषा अंग्रेजी / हिंदी विषय वस्तु इग्नू के पाठ्यक्रम के अलावा सामान्य जानकारी

प्रतिभागीः एंकर पर्सन तथा विषय विशेषज्ञ

श्रोताः इग्नू के विद्यार्थी एवं आम श्रोता

rduhdh fooj.k

स्थानः संचार केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

Web casting: ignouonline@ignou.ac.in

सर्वरःॲडाप फ्लैश मीडिया(Adope Flash Media)

एनकोडरः 3.2 फॉरमैटःऍम पी 3 चैनलः मोनो

प्लग इनः फलेश बिट रेट 48 केबीपीएस

फोन टोल फ्रीः 1800 112345 ई मेलः gyandhara@ignou.ac.in

fu"d"kZ शिक्षा में शिक्षक और संस्थानों से भौतिक दूरी के साथ–साथ सहपाठियों से संचार न होने के कारण दूरस्थ शिक्षार्थियों को अकेलेपन का भाव होता है ऐसे में अंतः क्रियात्मक सत्र विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को

शांत करने का बड़ा प्रभावी माध्यम है, इसका प्रसारण इंटरनेट एफ. एम. तथा उपग्रह संप्रेषण की होने के कारण इसकी पहुंच दूरदराज के क्षेत्रों में होती है और स्मार्टफोन की उपभोक्ता बढ़ने के साथ–साथ ज्ञानवाणी और ज्ञान धारा के श्रोताओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। रेडियो एक सस्ता और सुलभ माध्यम होने के कारण तथा इग्नू द्वारा इसका प्रयोग, विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

l>ko% अंतः क्रियात्मक क्षेत्रों में प्रसारित होने वाली विषय वस्तु का भंडारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए जिससे विद्यार्थी को जब आवश्यकता हो तब वह अध्ययन कर सके।

यद्यपि सत्रों की समय सारणी ज्ञान धारा के होम पेज पर उपलब्ध है फिर भी इसकी जानकारी अन्य माध्यमों और श्रव्य और द्दश्य के द्वारा भी सम्प्रेशित होना चहिए।

lnHk%

1.चौधरी, सोहनवीर और बंसल,किरण 2000 इंटरएक्टिव रेडियो कांउंसलिग इन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीः ए स्टडी, इंटरनंशनल जर्नल ऑफ ई–लर्निग एंड डिस्टेंस एजुकेशन,वल्यूम.15,न.2

2. इग्नू प्रोफाइल, 2017

3.चंद्रप्रकाश 2016, रेडियो व प्रसारण शिक्षा, योजना, जनवरी, 2016 पेज 67.

4. सुश्री रीना बरो, प्रस्तुतकर्ता, संचार केंद्र से साक्षात्कार ,2018

5. श्री आशीष विजयवर्गीय, सहा. अभियंता, संचार केंद्र, से साक्षात्कार, 2018

6.www.ignouonline.ac.in 7. www.livemint.com(retrieved on 27 July,2018)

8.www.slideshare.net/Gaurav1019/indian_radio_industry &next_slideshare-1) (retrieved on 27/2/2019.)

9. Robin H.Kay and Sharon Lauricella 2014,Investigating and Comparing communication media Used in Higher Education,Journal of Communication Technology and Humen Behaviors,Vol.2 No.1 pp1-20.

10. Sukumar,B.2001,IGNOU Interactive Radio Counselling : A Case Study,Indian Journal of Open Learning,Vol.10 No.1 (retrieved on 13/03/2019)

UIJMSR

Hkkjr e: pluko dk egRo

Mk- t;Jh nhf{kr
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) हवाबाग महिला महाविद्यालय जबलपुर
vfHkthr flg
शोधार्थी रा.दु.वि.वि. जबलपुर

चुनाव लोकतंत्र का मूल तत्व है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का मेरूदण्ड कहा जाता है। यह लोकतांत्रिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। भारत की स्वतंत्रता न केवल औपनिवेशिक युग के अंत में एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना के रूप में महत्वपूर्ण थी, परंतु भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र, सरकार का संसदीय रूप चुना और आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।

भारत विश्व का वृहदतम् प्रजातांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहां जनता के द्वारा जनता के लिए जनता में से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव आयोजित किये जाते है। इस हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग का कार्य चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कर भारत में चुनाव सम्पन्न कराना है।

समय के साथ–साथ अनेक परिप्रेक्ष्य में यह सिद्ध हो चुका है कि लोकतान्त्रिक भ्भासन पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ है और अधिसंख्य लोगों द्वारा स्वीकार्य है। स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव एक स्वस्थ्य लोकतन्त्र के अस्तित्व की पूर्व भार्त है। इसके अभाव में लोगों की आस्था समाप्त हो जायेगी। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में जो राजनीतिक संरचना विकसित हुई वह पूर्ण रूप से लोकतन्त्रात्मक है तथा भारत को सबसे बड़े लोकतन्त्र होने का गौरव प्राप्त है।

भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा निर्वाचन आयोग नामक संस्था का निर्माण पूर्णतः निर्वाचन से सम्बन्धित संविधान के भाग 15 से सम्बद्ध कर किया गया। इस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक विशेष प्रावधान दिये गये हैं। चुनाव या निर्वाचन को लोकतन्त्र का आधार कहा जाता है जिसके माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और उन्हें सत्ता का अधिकार देती है। ये चुनाव का महत्व ही है कि लोकतन्त्र में चुनाव को ^egkRlo* की संज्ञा दी जाती है।

pqukoh çfØ;k ij loèkkfud çkoèkku %& भारतीय संविधान के प्रणेता अपने पूर्ववर्ती संस्थावादियों के समान संघ और राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक संसदीय सरकारों के एक आवश्यक आधार के रूप में विधायिकाओं के लिए स्वतंत्र, आवधिक और गुप्त चुनाव आयोजित करते थे। इस प्रकार, प्रतिनिधित्व की चुनावी प्रक्रिया, देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की अंतर्निहित विशेषता थी। देश में संसदीय प्रतिनिधित्व का प्रयोग भी प्रतिनिधित्व के शासकीय या उत्तरदायित्व के सिद्धांत से प्रभावित था। सरकार के ब्रिटिश प्रारूप की विलक्षण विशेषता, जो हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को प्रभावित करती थी, संसद के कार्यकारी (विशेषतः, जनमत के माध्यम से निर्वाचित सदन) और प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व या निर्वाचन क्षेत्र का उत्तरदायित्व था, न कि संसद और संविधान द्वारा प्रतिदिन का नियंत्रण। पूर्व में विधिवेत्ताओं और राजनेताओं के साथ–साथ संविधान निर्माता भी प्रतिनिधित्व के जनादेश और भागीदारी सिद्धांतों से प्रभावित नहीं थे।

गांधीजी ने देश में संसदीय सरकार की योजना से सहमत होने के लिए आर्थिक अनुदान के सिद्धांतों को अस्वीकृत कर दिया था जो उनकी पूर्व शर्त थी, और इस मुद्दे पर गांधीजी के विचारों ने विशेष रूप से संविधान निर्माताओं को प्रभावित नहीं किया था। औपचारिक होते हुए भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं मानव समानता ये दो विचारधारात्मक समर्थन थे। इनमें से, स्वतंत्रता का विचार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादियों से विधिवेत्ताओं को विरासत में मिला था, जबकि गांधीजी द्वारा मानव समानता का विचार उन्हें दिया गया था। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों ने भारतीय उदारवादियों की विचारधारा को वृहद स्तर पर प्रभावित किया। मिल का कथन था कि, पुरुष एवं महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वे शासन कर सकें, बल्कि इसलिए है कि उन्हें अन्यायपूर्ण शासन का सामना न करना पड़े। अधिकांश पुरुष अपने सम्पूर्ण जीवन में मक्का–खेतों में मजदूरों अथवा कारीगरों के रूप में कार्य करने से अधिक कुछ नहीं करेंगे लेकिन इससे उनको होने वाले कष्ट कम

नहीं होंगे। कोई भी यह नहीं सोचता कि एक महिला मताधिकार का दुरूपयोग करेगी। सबसे बुरी बात तो यह है कि वे अपने पुरुष संबंधियों के कथनानुसार, आश्रितों के पक्ष में मतदान करेंगी। यदि ऐसा है, तो इसे होने दो। अगर वे खुद के लिए सोचते हैं, तो बहुत अच्छा होगा, और यदि वे नहीं करते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा। यह मनुष्यों के लिए उनके अनिच्छुक होने पर भी अपनी बाधाएँ दूर करने हेतु एक साधन के समान है। यद्यपि, गांधीजी के मतानुसार मताधिकार आत्मरक्षा का साधन था और उन नियमों को नियंत्रित करने की शक्ति थी जिस पर एक व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध में रहता है।

milgkj %& विश्व में शासन की किसी भी प्रणाली के समान, कोई भी चुनावी व्यवस्था सदैव परिपूर्ण नहीं मानी जा सकती। भारत की चुनाव प्रणाली भी इस अपवाद से पृथक नहीं है। चुनाव से संबंधित मुख्य समस्याएं हैं – चुनावी राजनीति का अपराधीकरण; चुनाव में धन और बल का उपयोग; हिंसा, बूथ कैप्चरिंग; हेराफेरी; सत्ता में पार्टी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, चुनाव में गैर गंभीर उम्मीदवारों की प्रविष्टि; आचार संहिता का उल्लंघन इत्यादि। अतः चुनाव प्रणाली को अक्षुण बनाने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसकी अपनी अंतर्निहित त्रुटियाँ हैं जिनके उन्मूलन हेतु चुनाव सुधार एक सतत प्रक्रिया है। कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में चुनावी प्रणाली की असफलता चुनाव प्राधिकरण, राजनीतिक दलों और सामान्यतः जनता के लिए चिंता का विषय रही है। अनुभव के आधार पर, विकृतियों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने हेतु कानूनी व्यवस्था को अपने प्राचीन रूप में बहाल करने के लिए विधिक, प्रशासनिक उपायों की खोज करने का यह उचित समय है। इस प्रकार के विचार 1985 से 1987 में राष्ट्रपति के संबोधन द्वारा चुनावी सुधारों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के विशिष्ट संदर्भ में भी सही सिद्ध किये गये हैं। चुनाव कानूनों के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चुनावी सुधारों के संबंध में शासन के प्रयासों को औपचारिकतापूर्ण ही कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव सुधारों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कम ध्यान दिया गया है।

lanHk %&

- Mill, J.S., Representative Government, London, J.M.Dent and Sons, 1962
- उत्पल श्वेता, भारत का संविधान : सिद्धान्त और व्यवहार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, परिषद्, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली 2006
- गाबा, ओम प्रकाश, राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा, मयूर पेपरबैक्स नोएडा
- सिंह, वैभव, भारतीय लोकतंत्र में चुनावों की भूमिका, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, अगस्त, 2013।

UIJMSR

cSadks }kjk vuqlwfpr tutkfr oxZ dks jkstxkj gsrq fofHkUu ;kstukvksa dh vUrxZr iznRr _.k dk ÁHkko % ,d v/;;u

T;ksfr Mkoj

पीएचडी शोधार्थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

सारांश %& मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग बाहुल्य बड़वानी जिले के विभिन्न बैकों द्वारा रोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त लोगों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। आदिवासी वित्त विकास निगम से प्राप्त आकड़ों के अनुसार वर्श 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक कुल 3489 अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वारोजगार आरम्भ करने हेतु विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया गया। कुल 3489 अनुसूचित जनजाति के लोगों को निदर्शन के आकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। उत्तरदाताओं के चयन हेतु स्वारोजगार आरम्भ करने के लिए विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले कुल 3489 अनुसूचित जनजातिय लोगों में से 10 प्रतिशत (कुल 350) उत्तरदाताओं को दैव निदर्शन विधि के द्वारा रैण्डम नम्बर टेबल का प्रयोग कर समानुपातिक आधार पर चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। उत्तरदाताओं को रोजगार के लिए ऋण प्राप्त होने वाली योजना, व्यवसाय में प्राप्त लाभ, बैंक से योजना का लाभ प्राप्त होने के समय, बैंक से रोजगार के लिए प्राप्त ऋण की आंवटित राशि, प्राप्त ऋण की आदायगी का विश्लेशण किया गया। विश्लेशण से स्पश्ट होता है कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत जनजातिय लोगों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् जनजातिय लोग अपना रोजगार आरम्भ कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुद्वण कर रहे हैं। अधिकांश उत्तरदाता ऐसे पाये जो कि बैंक से लिए हुए ऋण रोजगार प्रारम्भ होने के पश्चात् किस्तों के रूप में बैंकों में जमा कर रहे हैं।

ÁLrkouk %& भारत की कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति का है। भारत गांवों का देश है जिसकी अधिकतर जनसंख्या ग्रामों में निवास करती हैं और जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं

अर्थात् जिनकी जीविका का साधन कृषि एवं कृषि मजदूरी है। वर्तमान समय में पर्यावरण में बदलाव के कारण वर्षा न होना, वर्षा कम होना, वर्षा का अधिक होना, उन्नत बीजों का अभाव इत्यादि समस्याएँ पर्यावरण में बदलाव के कारण उत्पन्न होती हैं। जिसके कारण ग्रामों में रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। अनुसूचित जनजाति प्रारम्भ से ही निर्जन वनों में निवास करती हैं। निर्जन वनों में निवास करने के कारण इन लोगों में अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, गरीबी, नशाखोरी, काम की तलाश में पलायन इत्यादि समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग मजदुरी, कृषि मजदुरी कर अपनी जीविका चलाते हैं। इनके पास अपनी जीविका चलाने के कोई ठोस साधन उपलब्ध न होने की वजह से और भी समस्याएँ इनके जीवन में आती हैं।

रोजगार को बेरोजगारी समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प मानते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त नियोजकों का ध्यान उन विशिष्ट उपायों की तरफ गया, जिनके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय तथा राज्य सरकार स्तर पर अनेकों योजनाएँ प्रतिपादित की गई जो मुख्यतः स्वरोजगार स्थापना के उपहलुओं पर केन्द्रित थी।

राज्य शासन के आदेश क्रमांकः एफ 2–6/2014/अ–ग्यारह दिनांक 21.07.2014 के अनुसार विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का युक्तिकरण किया जिनमें केन्द्र से प्रवर्तित योजनाओं को छोड़कर मध्य प्रदेश में तत्कालीन संचालित ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गावती अजा/अजजा स्वारोजगार योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक विकास योजना, अन्त्योदय स्वारोजगार योजना, मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना, माटी कला योजना, टंट्या भील स्वारोजगार योजना, मुख्यमंत्री साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हाथठेला चालक योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री केश शिल्पी योजना सहित स्वारोजगार की सभी निम्नानुसार 3 योजनाओं में समाहित की गयी :–

eq[;eU=h ;qok m|eh ;kstuk %& योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों कर स्थापना हेतु देय होता है।

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019

योजना अन्तर्गत उद्यमी के प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधन निम्नानुसार हैं।

1- योजना का प्रारम्भ 1 अगस्त 2014 (यथा संशोधित 16 नबम्वर 2017)
2- योजना का उद्दे य – योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/ सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। योजना के हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता ब्याज अनुदान ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा।

Ek[;e=h Lojkstxkj ;kstuk %&

1- ;kstuk dk ÁkjEHk 1 अगस्त 2014 (यथा सं ोधित 16 नबम्वर 2017)
2- ;kstuk dk mn~ns'; – योजना का उद्दे य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/ सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। योजना के हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता ब्याज अनुदान ऋण गारंटी एवं प्रतिशक्षण का लाभ भाासन द्वारा दिया जाएगा।
3- ;kstuk dk fØ;kUo;u %& स्वरोजगार योजनाएं संचालित किये जाने वाले समस्त विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने–अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जाएगा। स्वरोजगार योजना के वार्शिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा। इन निर्देशों के अन्तर्गत विभाग पूरक निर्देश जारी करते हैं।

3- e[;e=h Ñ"kd m|eh ;kstuk %& योजना का लाभ केवल कृषक पुत्र/पुत्री द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा।

4- **मुख्यमंत्री कृशक उद्यमी योजना** :– यह योजना के अन्तर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा या कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी जाती है। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होता है।

5- f'kf{kr cjkstxkj ;qokvksa ds fy, iz/kkue=h jkstxkj ;kstuk %& शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा 15 अगस्त 1993 को एक अति महत्वाकांक्षी योजना घोषित की गई है, जो कि 2 अक्टूबर 1993 से संपूर्ण देश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार (लघु उद्योग, व्यवस्था अथवा सेवा इकाई) स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इकाई का सुचारू प्रबंधन करने में मार्गदर्शनन/प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है। निःसंदेह शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में अभी तक संचालित की गई समस्त योजनाओं में से संभवतः यह सबसे अधिक व्यापक तथा बहुपयोगी योजना है, जिससे न केवल लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बल्कि इससे देश के औद्योगिकरण (विशेषकर अत्यंत लघु उद्योग के क्षेत्र में) से संचालित की जा रही है परन्तु बाद में इसके प्रावधानों में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं, जिससे यह योजना और भी ज्यादा उपयोगी तथा विस्तृत आधार वाली (ब्रांड बेस्ड) हो गई है।

v/;;u dh vko';drk %& अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की तमाम समस्याएँ विकास में बाधक सिद्व हो रही हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार हेतु ऋण संबंधी समस्याओं व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाकर उचित समाधान प्रस्तुत करना एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता की तथा वर्तमान स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन की आव यकता है।

v/;;u ds mn~ns'; %& बैंकों द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ऋण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

v/;;u {ks= %& प्रस्तुत अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग बाहुल्य बड़वानी जिले का चयन किया गया है।

v/;;u dk lexz %& प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र बड़वानी जिले में विभिन्न बैंकों द्वारा रोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त लोगों को अध्ययन का समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

v/;;u dh bdkbZ :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र बड़वानी जिले में विभिन्न बैंकों द्वारा रोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित उत्तरदाता को अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित

किया गया है।

fun'kZu fof/k %& प्रस्तुत तालिका में निदर्शन में सम्मितिल की जाने वाली जनसंख्या को दर्शाया गया है।

funs'ku dk vkdkj %& आदिवासी वित्त विकास निगम से प्राप्त आकड़ों के अनुसार वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक कुल 3489 अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वारोजगार आरम्भ करने हेतु विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया गया। कुल 3489 अनुसूचित जनजाति के लोगों को निदर्शन के आकार के रूप में सम्मिलित किया गया है।

rkfydk Ø- 1-1

Lokjkstxkj gsrq _.k ÁkIr djus okys vuqlwfpr tutkfr; yksxksa dk fooj.k

तहसील	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	dqy ;ksx
अंजड़	72	78	132	154	436
बड़वानी	84	98	105	123	410
निवाली	78	78	87	106	349
पानसेमल	65	82	108	112	367
पटी	66	73	99	123	361
राजपुरा	76	90	105	148	419
सेंधवा	83	95	121	136	435
ठीकरी	69	82	99	120	370
बरला	56	72	79	135	342
कुल योग	649	748	935	1157	3489

L=ksr& आदिवासी वित्त विकस निगम, बड़वानी, म.प्र.।

mRrjnkrkvksa dk p;u %& उत्तरदाताओं के चयन हेतु स्वारोजगार आरम्भ करने के लिए विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले कुल 3489 अनुसूचित जनजातिय लोगों में से 10 प्रतिशत (कुल 350) उत्तरदाताओं को दैव निदर्शन विधि के द्वारा रैण्डम नम्बर टेबल का प्रयोग कर समानुपातिक आधार पर चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है जिसका विवरण निम्न तलिका में प्रस्तुत किया है।

rkfydk Ø- 1-2

तहसील वर एवं वर्ष वार चयनित उत्तरदाताओं dk fooj.k

तहसील	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	dqy ;ksx
अंजड़	7	8	13	15	43
बड़वानी	8	9	11	12	40
निवाली	8	8	9	11	36
पानसेमल	7	8	11	11	37
पटी	7	7	10	12	36
राजपुरा	8	9	11	14	42
सेंधवा	8	10	12	14	44
ठीकरी	7	8	10	12	37
बरला	6	7	8	14	35
dqy ;ksx	66	74	95	115	350

L=ksr& आदिवासी वित्त विकस निगम, बड़वानी, म.प्र.

vkadM+s ,df=r djus ds L=ksr %& प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

izkFkfed vkadM+s %& प्राथमिक आंकडों का संग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर साक्षात्कार कर, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समुह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गये।

f}rh;d vkdM+s %& द्वितीय स्त्रोत विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थ, सर्वेक्षण प्रतिवेदन, संस्मरण, शासकीय आँकड़े अनुसंधान प्रतिवेदन, समाचार पत्र, पत्रिका, शोध पत्रिका, संबंधित सरकारी विभागों की वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन्टरनेट आदि से एकत्रित किये गये।

fo'ys"k.kkRed i"BHkwfe %& आंकड़ों का संकलन के पश्चात् संग्रहित आंकड़ों की छंटनी करके, कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया गया तथा एस. पी. एस. एस. पैकेज का प्रयोग करते हुऐ सारणीयन के पश्चात् विश्लेषण करके उपयुक्त निष्कर्ष निकाले गये हैं।

rkfydk Ø- 1-3

mRrjnkrkvksa dk jkstxkj ds fy, _.k izkIr gksus okyh ;kstuk dk fooj.k

Ø-	fooj.k	vkofRr	प्रतिशत
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	182	52.0
2	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	6	1.7
3	मुख्यमंत्री रोजगार कल्याण कार्यक्रम	21	6.0
4	प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	54	15.4
5	मुख्यमंत्री स्वरोजगार कल्याण कार्यक्रम	10	2.9
6	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम	77	22.0
	dqy ;ksx	N=350	100-0

L=ksr % & izkFkfed losZ{k.k vk/kkfjr lesd fo'ys"k.k।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वारोजगार योजना के अर्न्तगत ऋण प्राप्त हुआ है जबकि सबसे कम 1.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अर्न्तगत रोजगार हेतु ऋण प्राप्त हुआ है। 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको मुख्यमंत्री रोजगार कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार हेतु ऋण प्राप्त हुआ वहीं 15.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये पाये जिनको प्रधानमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है। 2.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी दी कि उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार हेतु ऋण की प्राप्ति हुयी है एवं 22 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि उनको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार प्रदान किया गया है।

rkfydk Ø- 1-4

0;olk; esa izkIr ykHk dk fooj.k

Ø-	fooj.k	vkofRr	izfr'kr
1	हाँ	291	83.1
2	नहीं	59	16.9
	dqy ;ksx	N=350	100-0

L=ksr % & izkFkfed losZ{k.k vk/kkfjr lesd fo'ys"k.k।

उपर्युक्त तालिका के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 83.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् आरम्भ करने वाले व्यवसाय से लाभ प्राप्त हुआ है जबकि 16.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जानकारी प्रदान की गयी कि उनको बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने के पश्चात् आरम्भ किये गये व्यावसाय से लाभ की प्राप्ति लाभ नहीं हो पायी है। अतः स्पष्ट है कि 83.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात् आरम्भ करने वाले व्यवसाय में लाभ प्राप्त हुआ है जो कि सर्वाधिक है।

rkfydk Ø- 1-5

cSad ls ;kstuk dk ykHk izkIr gksus ds le; dk fooj.k

Ø-	fooj.k	vkofRr	izfr'kr
1	तत्काल	243	69.4
2	1 वर्ष या इससे कम	18	5.1

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019 2019

3	1 वर्ष से 2 वर्ष	41	11.7
4	2 वर्ष से 3 वर्ष	47	13.4
5	3 वर्ष से अधिक	1	0.3
	dqy ;kx	N=350	100-0

L=kr % & ÁkFkfed lo{k.k vk/kkfjr led foश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 69.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बैंक द्वारा ऋण योजना का लाभ तत्काल प्राप्त हुआ जबकि सबसे कम 0.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजना का लाभ प्राप्त होने में 3 वर्ष या इससे अधिक समय लग गया। 5.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको 1 वर्ष या इससे कम समय में योजना का लाभ प्राप्त हुआ वहीं 11.7 प्रतिशत उत्तरदाताओ को योजना का लाभ प्राप्त होने में 1 वर्ष से 2 वर्ष का समय लग गया। 13.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको योजना का लाभ प्राप्त करने में 2 से 3 वर्ष का समय लग गया। अतः स्पष्ट होता है कि 69.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बैंक द्वारा ऋण योजना का लाभ तत्काल प्राप्त हुआ जो कि सर्वाधिक है।

rkfydk Ø- 1-6
mRrjnkrkvk dk cid ÁkIr _.k dh vkofVr jkf'k dk fooj.k

Ø-	fooj.k	vkofRr	Áfr'kr
1	1 लाख रुपये से कम	46	13.1
2	1 से 2 लाख रुपये	114	32.6
3	2 से 3 लाख रुपये	39	11.1
4	3 से 4 लाख रुपये	50	14.3
5	4 से 5 लाख रुपये	68	19.4
6	5 लाख रुपये या इससे अधिक	33	9.4
	dqy ;kx	N=350	100-0

L=kr % & ÁkFkfed lo{k.k vk/kkfjr led foश्लेषण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल 350 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 32.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार आरम्भ करने के लिए 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का ऋण आंवटित किया गया जबकि सबे कम 9.4 प्रतिशत उत्तरदताओं को रोजगार आरम्भ करने के लिए 5 लाख रुपये या इससे अधिक रुपये तक का ऋण आंवटित किया गया। 1 लाख रुपये या इससे कम रुपये तक का ऋण आंवटित किये जाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 13.1 पाया गया जबकि 11.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का ऋण रोजगार आरम्भ करने के लिए आंवटित किया गया। ऐसे उत्तरदाता जिनको 3 लाख से 4 लाख रुपये तक का ऋण रोजगार आरम्भ करने के लिए आंवटित किया गया उनका प्रतिशत 14.3 पाया गया वहीं 4 लाख से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने वाले उत्तरदाता 19.4 प्रतिशत पाये गये।

rkfydk Ø- 1-7
mRrjnkrkvk }kjk cid ls ÁkIr _.k dh vnk;xh dk fooj.k

Ø-	fooj.k	vkofRr	Áfr'kr
1	मासिक	102	29.1
2	त्रैमासिक	136	38.9
3	अर्द्धवार्शिक	51	14.6
4	वार्शिक	39	11.1
5	रुपये उपलब्ध होने पर	22	6.3

	dqy ;kx	N=350	100-0

L=kr % & ÁkFkfed lo{k.k vk/kkfjr led fo'लेशण।

उपर्युक्त तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 38.9 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि व त्रैमासिक ऋण अदा करते हैं जबकि सबसे कम 6.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जिन्होंने बताया कि वे रुपये उपलब्ध होने पर बैंक से लिया हुआ ऋण अदा करते हैं। 29.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे मासिक किस्त में बैंक से लिया हुआ ऋण अदा करते हैं वहीं 14.6 प्रतिशत उत्तरदाता अर्द्धवार्षिक रूप में ऋण अदा करते हैं। ऐसे उत्तरदाता जो वार्शिक ऋण अदा करते हैं उनका प्रतिशत 11.1 पाया गया।

H_0 बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए mRrjnkrkvksa dk cSad ls jkstxkj ds fy, ÁkIr _.k dh vkofVr jkf'k dk fooj.k एवं तालिका 0;olk; esa ÁkIr ykHk dk fooj.k के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। इकाई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को तालिका में दर्शाया गया है–

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.595[a]	5	.762
N of Valid Cases	350		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 20 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य χ^2_t = 11.070 है तथा χ^2 का परिणत मूल्य χ^2_c = 2.595 (.128 प्रतिशत सारथकता स्तर) प्राप्त है।

अर्थात 11.070<2.595 अर्थात $\chi^2_t < \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य कम है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं हैं इसलिए दानों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः शून्य परिकल्पना ^^**H_0** jkstxkj ds fy, cSad _.k gsrq lapkfyr 'kkldh; ;kstukvksa ,oa ;kstukvksa dk ykHk ÁkIr djus ds e/; dkbZ lkFkZd lEcU/k ugha gS^^ अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना ^^jkstxkj ds fy, cSad _.k gsrq lapkfyr 'kkldh; ;kstukvksa ,oa ;kstukvksa dk ykHk ÁkIr djus ds e/; lkFkZd lEcU/k gSA^^ स्वीकृत की जाती है।

H_0 रोजगार के लिए बैंक ऋण हेतु संचालित शासकीय योजनाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H_1 रोजगार के लिए बैंक ऋण हेतु संचालित शासकीय योजनाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए mRrjnkrkvksa dk jkstxkj ds fy, _.k ÁkIr gksus okyh ;kstuk dk fooj.k एवं cSad ls ;kstuk dk ykHk ÁkIr gksus ds le; dk fooj.k के समंकों की तुलना के आधार पर काई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को तालिका में दर्शाया गया है –

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	27.282[a]	20	.128
N of Valid Cases	350		

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 20 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य χ^2_t = 31.410 है तथा χ^2 का परिणत मूल्य χ^2_c = 27.282 (.128 प्रतिशत सारथकता स्तर) प्राप्त है।

अर्थात 31.410>27.282 अर्थात $\chi^2_t > \chi^2_c$ है स्पश्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य कम है। दोनों गुण स्वतन्त्र हैं इसलिए दानों में कोई घनिश्ठ सम्बन्ध नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना ^^**H$_0$** jkstxkj ds fy, cSd _.k grq lpkfyr 'kkldh; ;kstukvks ,oa ;kstukvks dk ykHk Ákl r djus ds e/; dksbZ lkFkd lEcU/k ugha gS**।**^^ स्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना ^^jkstxkj ds fy, cSd _.k grq lpkfyr 'kkldh; ;kstukvks ,oa ;kstukvks dk ykHk Ákl r djus ds e/; lkFkd lEcU/k gSA^^ अस्वीकृत की जाती है।

H$_0$ अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा रोजगार हेतु बैंक से लिये गये ऋण एवं ऋण के समय पर भुगतान करने के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

H$_1$ अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा रोजगार हेतु बैंक से लिये गये ऋण एवं ऋण के समय पर भुगतान करने के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।

उपरोक्त उपकल्पना का परीक्षण के लिए mRrjnkrkvks dk cSd ls jkstxkj ds fy, Ákl r _.k dh vkofVr jkf'k dk fooj.k एवं mRrjnkrkvks }kjk cSd ls Ákl r _.k dh vknk;xh dk fooj.k के समंकों की तुलना के आधार पर इकाई–वर्ग परीक्षण किया गया है। काई–वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को तालिका में दर्शाया गया है–

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.921[a]	20	.834
N of Valid Cases	350		

उपर्युक्त उपकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 20 स्वातन्त्र संख्या के लिए χ^2 का सारणी मूल्य χ^2_t = 31.410 है तथा χ^2 का परिणत मूल्य χ^2_c = 13.921 (.834 प्रतिशत सारथकता स्तर) प्राप्त है।

अर्थात 31.410>13.921 अर्थात $\chi^2_t > \chi^2_c$ है स्पष्ट है कि काई–वर्ग तालिका मूल्य से परिगणित मूल्य कम है। दोनों गुण स्वतन्त्र हैं इसलिए दानों में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना ^^**H$_0$** vuqlfpr tutkfr oxZ }kjk jkstxkj grq cSd ls fy;s x;s _.k ,oa _.k ds le; ij Hkqxrku djus ds e/; dksbZ lkFkd lEcU/k ugha gSA^^ स्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना ^^**H$_1$** vuqlfpr tutkfr oxZ }kjk jkstxkj grq cSd ls fy;s x;s _.k ,oa _.k ds le; ij Hkqxrku djus ds e/; lkFkd lEcU/k gSA^^ अस्वीकृत की जाती है।

निश्कर्श :– उपर्युक्त विश्लेशण से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुल उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत जनजातिय लोगों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् जनजातिय लोग अपना रोजगार आरम्भ कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुद्धण कर रहे हैं। अधिकांश उत्तरदाता ऐसे पाये जो कि बैंक से लिए हुए ऋण रोजगार प्रारम्भ होने के प्श्चात् किस्तों के रूप में बैंकों में जमा कर रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में 45 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को 2 लाख रुपये या इससे कम का ऋण रोजगार के लिए आंवटित हुआ है वहीं 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण रोजगार आरम्भ करने के लिए आंवटित हुआ है।

lq>ko %& हमारे यहाँ श्रम शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहती है, रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में तो मौसमी बेरोजगारी एक विकट समस्या है। ग्रामीण युवा शक्ति का जब समुचित सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो जहाँ एक ओर उनका भविष्य अंधकारमय होता है, वहीं ग्रामीण समाज में

इससे अराजकता भी बढ़ती है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाकर स्थानीय संसाधनों एवं स्थानीय श्रम शक्ति का उपयोग कर ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना सम्भव है। इससे जहाँ एक ओर ग्रामीण बेरोजगारी में गिरावट होगी, वहीं संसाधनों में गतिशीलता भी बढ़ेगी।

lUnHkZ

1- आदिवासी वित्त विकस निगम, बड़वानी, म.प्र.।
2- जिला सांख्यकीय पुस्तिका, जिला बडवानी, 2018।
3- शर्मा टी, आर, (1999)ः ''विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन'' साहित्य भवन, आगरा।
4- सिंह, महेन्द्र प्रताप (1992)ः ग्रामीण सामाजिक संरचना और विकास कार्यक्रम, शोध–प्रबन्ध, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
5- पाण्डेय, पी.एन. (2000)ः ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6- मध्यप्रदेश के प्रमुख आंकड़े 2011, आर्थिक एवं साख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश।
7- झिंगन, एम. एल. (2000), विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन'', संस्करण।
8- शर्मा, अनीता (1994), ''रूरल एमप्लोयमेंट प्रोग्राम इन इण्डिया'', मोहित पब्लिशर्ष, नई दिल्ली।

UIJMSR

cSrwy ftys dh fpphpksyh fodkl[k.M ds ckjs esa lkekU; tkudkjh

Mk- lq/khj 'kekZ'kk/k (निर्देशक)

dq- dYiuk fclUnz ¼शोधार्थी)

सहायक प्राध्यापक शास. हमीदिया स्नात. महाविद्यालय, भोपाल

बैतूल जिले में चिचोली विकासखण्ड एक ऐसा विकासखण्ड हैं जिसको की कार्यालय जनपद पंचायत व विकासखण्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें विकासखण्ड का नाम चिचोली हैं। इसमें ग्राम पंचायतों की संख्या 33 है। ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्डो की संख्या 589 है। विकासखण्ड अंतर्गत जनपद निर्वाचन क्षेत्र 13 है। विकासखण्ड के अंतर्गत जिला निर्वाचन क्षेत्र 1 हैं। विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 77,513 हैं। जिसमें कुल पुरूष जनसंख्या 38,950 हैं। इसमें कुल महिला जनसंख्या 38,563 हैं। इसमें अनुसूचित जाति की संख्या 3,842 हैं। इसमें पुरूषों की संख्या 1971 हैं और महिलाओं की संख्या 1971 हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 55,348 हैं। इसमें पुरूषों की संख्या 27589 हैं और महिलाओं की संख्या 27759 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 18,323 हैं। इसमें पुरूषों की संख्या 9390 हैं और महिलाओं की संख्या 8933 हैं। राजस्व निरीक्षण मण्डलों की संख्या 1 जिसका नाम चिचोली हैं। पटवरी हल्को की संख्या 15 है जो की कई वर्षो से चलते आ रहे हैं। पुलिस स्टेशनों की संख्या 1 जो की चिचोली में ही विद्यमान हैं। रेल्वे स्टेशनों की संख्या 1 जो की जिला मुख्यालय बैतूल में स्थित हैं। खण्ड मुख्यालय से रेल्वे स्टेशन की दूरी 35 कि.मी हैं। विकासखण्ड अंतर्गत कुल ग्रामों की संख्या 80 है। जिसमें राजस्व ग्राम 77 हैं और वन ग्राम 10 है, और विरान ग्राम 1 हैं। तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल 40986 हेक्टेयर हैं और तहसील के खातो का क्षेत्रफल 27534 हेक्टेयर हैं वहीं तहसील के गैर खातों का क्षेत्रफल 13452 हेक्टेयर हैं। तहसील में वन आच्छादित क्षेत्र 8741 हेक्टेयर है। तहसील का सिंचित रकबा 13303 हेक्टेयर है। तहसील का संपूर्ण फसलो का रकबा 30754 हेक्टेयर है। खरिब फसल का रकबा 24968 हेक्टेयर है। रबि फसल का रकबा 14789 हेक्टेयर है। नीरा फसल का क्षेत्रफल (खरिब एवं रबि) 24968 हेक्टेयर है। दू फसली क्षेत्रफल 14789 हेक्टेयर है। वर्षामापी यंत्र 1 हैं जो कि अस्पताल परिसर चिचोली में स्थित है। वहीं विकासखण्ड की मुख्य नदीया 2 मोरण्ड एवं भाजी नदी है। वही विकासखण्ड में स्थित जलाशय 4 हैं जो कि गोधना, देवपुकोटमी, पाटाखेड़ा, जोगली, मिर्जापुर हैं। विकाखण्ड की मुख्य खाद्य फसले 9 हैं जो कि मूंग, उड़द, तूवर, सावा, कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, धान हैं। वहीं विकासखण्ड में प्रस्तावित सिंचाई परियोजना 1 मोरण्ड एवं गन्जाल हैं। विकासखण्ड की दलहन फसले 5 हैं जो कि मसूर, चना, तूवर मूंग, उड़द है। वहीं विकासखण्ड की तिलहन फसले 4 हैं जो कि जगनी, रामतिल, तील, सोयाबीन हैं। वहीं विकासखण्ड की मुख्य जातिया 5 हैं जो कि गोंड, कोरकू, गौली, कलार, मेहरा हैं। इस तरह से विकासखण्ड चिचोली का निर्माण हुआ हैं।[1]

जनपद पंचायत व विकासखण्ड चिचोली की वर्ष 2011 की ग्रामवार जनसंख्या का पत्रक निम्नानुसार हैं जो कि इस प्रकार है –

ग्राम पंचायत टोकरा –

ग्राम पंचायत टोकरा जिसमें अंतर्गत सम्मिलित ग्राम टोकरा, पंछी, कनारी, देवपठान, मोहनपुरा हैं। जिसमें ग्राम टोकरा में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 255 हैं, उसमें पुरूशों की संख्या 134 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 121 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 18 व महिलाओं की जनसंख्या 22 इस तरह से इनका योग 40 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 116 व महिलाओं की संख्या 99 है इनका योग 215 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 0 व महिला की जनसंख्या 0 इनका योग 0 हैं।

ग्राम पंछी –

ग्राम पंछी में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 223 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 111 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 112 हैं इसमें अजा की पुरूश की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 111 व महिलाओं की संख्या 112 है इनका योग 223 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 0 व महिला की जनसंख्या 0 इनका योग 0 हैं।

ग्राम कनारी–

ग्राम कनारी में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 714 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 351 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 363 हैं इसमें अजा की पुरूष की

जनसंख्या 5 व महिलाओं की जनसंख्या 2 इस तरह से इनका योग 7 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 326 व महिलाओं की संख्या 340 है इनका योग 666 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 20 व महिला की जनसंख्या 21 इनका योग 41 हैं।[2]

ग्राम देवठान–

ग्राम देवठान में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 271 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 150 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 121 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 140 व महिलाओं की संख्या 114 है इनका योग 254 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 10 व महिला की जनसंख्या 7 इनका योग 17 हैं।

ग्राम मोहनपुरा –

ग्राम कनारी में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 194 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 85 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 109 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 6 व महिलाओं की जनसंख्या 3 इस तरह से इनका योग 9 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 77 व महिलाओं की संख्या 105 है इनका योग 182 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 2 व महिला की जनसंख्या 1 इनका योग 3 हैं।

इस तरह से ग्राम पंचायत टोकरा में कुल जनसंख्या 1657 हैं जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 831 व महिलाओं की जनसंख्या 831 है। इस तरह से कुल जनसंख्या 826 है। अजा में पुरूश की जनसंख्या 29 व महिला की जनसंख्या 27 इस तरह से कुल जनसंख्या 56 है। अजजा के पुरूषों की जनसंख्या 770 हैं वहीं महिलाओं की जनसंख्या 770 इस तरह से इनका योग 1540 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जिसमें पुरूष की संख्या 32 महिलाओं की संख्या 29 है। इनकी कुल जनसंख्या 61 हैं।

ग्राम पंचायत झिरियाडोह –

ग्राम पंचायत झिरियाडोह जिसमें अंतर्गत सम्मिलित ग्राम जामनगरी, झिरियाडोह, बरखेड़ा, दरियावगंज हैं। जिसमें ग्राम जामनगरी में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 437 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 234 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 203 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 4 व महिलाओं की जनसंख्या 3 इस तरह से इनका योग 7 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 192 व महिलाओं की संख्या 169 है इनका योग 361 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 38 व महिला की जनसंख्या 31 इनका योग 69 हैं।[3]

ग्राम झिरियाडोह –

ग्राम झिरियाडोह में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 985 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 496 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 489 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 15 व महिलाओं की जनसंख्या 10 इस तरह से इनका योग 25 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 480 व महिलाओं की संख्या 479 है इनका योग 959 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 1 व महिला की जनसंख्या 0 इनका योग 1 हैं।

ग्राम बरखेड़ा–

ग्राम बरखेड़ा में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 475 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 247 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 228 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 183 व महिलाओं की संख्या 165 है इनका योग 348 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 64 व महिला की जनसंख्या 63 इनका योग 127 हैं।

ग्राम दरियावगंज –

ग्राम दरियावगंज में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 470 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 226 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 244 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 121 व महिलाओं की संख्या 140 है इनका योग 261 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 105 व महिला की जनसंख्या 104 इनका योग 209 हैं।

इस तरह से ग्राम पंचायत झिरियाडोह में कुल जनसंख्या 2367 हैं जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1203व महिलाओं की जनसंख्या 1164 है। अजा में पुरूष की जनसंख्या 19 व महिला की जनसंख्या 13 इस तरह से कुल जनसंख्या 32 है। अजजा के पुरूशों की जनसंख्या 976 हैं वहीं महिलाओं की जनसंख्या 953 इस तरह से इनका योग 1929 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जिसमें पुरूषें की संख्या 208 महिलाओं की संख्या 198 है। इनकी कुल जनसंख्या 406 हैं।[4]

ग्राम पंचायत खपरिया –

ग्राम पंचायत खपरिया जिसमें अंतर्गत सम्मिलित ग्राम परसदा खपरिया, डाडारीमाल, डाडारीरैयत, कासमार हैं। जिसमें ग्राम परसदा खपरिया में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1116 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 568 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 548 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 4 व महिलाओं की जनसंख्या 3 इस तरह से इनका योग 7 हैं। वहीं

अजजा की जनसंख्या 390 व महिलाओं की संख्या 389 है इनका योग 779 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 174 व महिला की जनसंख्या 156 इनका योग 330 हैं।

ग्राम डाडारीमाल –

ग्राम डाडारीमाल में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 269 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 132 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 137 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 60 व महिलाओं की संख्या 70 है इनका योग 130 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 72 व महिला की जनसंख्या 67 इनका योग 139 हैं।

ग्राम डाडारीरैयत –

ग्राम डाडारीरैयत में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 318 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 163 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 155 हैं इसमें अजा की पुरूश की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 125 व महिलाओं की संख्या 124 है इनका योग 249 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 38 व महिला की जनसंख्या 31 इनका योग 69 हैं।

ग्राम कासमार –

ग्राम कासमार में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 261 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 126 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 135 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 118 व महिलाओं की संख्या 128 है इनका योग 249 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 8 व महिला की जनसंख्या 7 इनका योग 15 हैं।

इस तरह से ग्राम पंचायत खपरिया में कुल जनसंख्या 1964 हैं जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 989 व महिलाओं की जनसंख्या 975 है। अजा में पुरूष की जनसंख्या 4 व महिला की जनसंख्या 3 इस तरह से कुल जनसंख्या 7 है। अजजा के पुरूषों की जनसंख्या 693 हैं वहीं महिलाओं की जनसंख्या 711 इस तरह से इनका योग 1404 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जिसमें पुरूष की संख्या 292 महिलाओं की संख्या 261 है। इनकी कुल जनसंख्या 553 हैं।[5]

xke ipk;r cYykj &

ग्राम पंचायत बल्लौर जिसमें अंतर्गत सम्मिलित ग्राम छिन्छीखापाप, सांगवानी, बल्लौर, बालाडोंगरी हैं। जिसमें ग्राम छिन्छीखापाप में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 355 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 160 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 195 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 158 व महिलाओं की संख्या 194 है इनका योग 352 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूश की जनसंख्या 2 व महिला की जनसंख्या 1 इनका योग 3 हैं।

ग्राम सांगवानी –

ग्राम सांगवानी में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 422 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 200 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 222 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 31 व महिलाओं की जनसंख्या 29 इस तरह से इनका योग 60 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 163 व महिलाओं की संख्या 186 है इनका योग 349 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 6 व महिला की जनसंख्या 7 इनका योग 13 हैं।

ग्राम बल्लौर –

ग्राम बल्लौर में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1006 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 502 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 504 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 460 व महिलाओं की संख्या 463 है इनका योग 923 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूश की जनसंख्या 42 व महिला की जनसंख्या 41 इनका योग 83 हैं।[6]

ग्राम बालाडोंगरी –

ग्राम बालाडोंगरी में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 335 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 164 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 171 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 8 व महिलाओं की जनसंख्या 8 इस तरह से इनका योग 16 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 138 व महिलाओं की संख्या 144 है इनका योग 282 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 18 व महिला की जनसंख्या 19 इनका योग 37 हैं।

इस तरह से ग्राम पंचायत बल्लौर में कुल जनसंख्या 2118 हैं जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1026 व महिलाओं की जनसंख्या 1092 है। अजा में पुरूष की जनसंख्या 39 व महिला की जनसंख्या 37 इस तरह से कुल जनसंख्या 76 है। अजजा के पुरूषों की जनसंख्या 919 हैं वहीं महिलाओं की जनसंख्या 987 इस तरह से इनका योग 1906 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की

जनसंख्या जिसमें पुरूष की संख्या 68 महिलाओं की संख्या 68 है। इनकी कुल जनसंख्या 136 हैं।

ग्राम पंचायत गवासेन –

ग्राम पंचायत गवासेन जिसमें अंतर्गत सम्मिलित ग्राम हईई, खोखराखेड़ा, गवासेन, नजरपुरखेड़ा हैं। जिसमें ग्राम हईई में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 827 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 441 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 386 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 4 व महिलाओं की जनसंख्या 6 इस तरह से इनका योग 10 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 390 व महिलाओं की संख्या 342 है इनका योग 732 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 47 व महिला की जनसंख्या 38 इनका योग 85 हैं।[16]

ग्राम खोखराखेड़ा –

ग्राम खोखराखेड़ा में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 288 हैं, उसमें पुरूशों की संख्या 156 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 132 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 156 व महिलाओं की संख्या 132 है इनका योग 288 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 0 व महिला की जनसंख्या 0 इनका योग 0 हैं।

ग्राम गवासेन –

ग्राम गवासेन में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 804 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 399 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 405 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 5 व महिलाओं की जनसंख्या 6 इस तरह से इनका योग 11 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 309 व महिलाओं की संख्या 316 है इनका योग 625 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 85 व महिला की जनसंख्या 83 इनका योग168 हैं।

ग्राम नजरपुरखेड़ा–

ग्राम नजरपुरखेड़ा में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 0 हैं, उसमें पुरूषों की संख्या 0 हैं वहीं महिलाओं की संख्या 0 हैं इसमें अजा की पुरूष की जनसंख्या 0 व महिलाओं की जनसंख्या 0 इस तरह से इनका योग 0 हैं। वहीं अजजा की जनसंख्या 0 व महिलाओं की संख्या 0 है इनका योग 0 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष की जनसंख्या 0 व महिला की जनसंख्या 0 इनका योग 0 हैं।

इस तरह से ग्राम पंचायत गवासेन में कुल जनसंख्या 1919 हैं जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 996 व महिलाओं की जनसंख्या 923 है। अजा में पुरूष की जनसंख्या 9 व महिला की जनसंख्या 12 इस तरह से कुल जनसंख्या 21 है। अजजा के पुरूशों की जनसंख्या 855 हैं वहीं महिलाओं की जनसंख्या 790 इस तरह से इनका योग 1645 है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जिसमें पुरूष की संख्या 132 महिलाओं की संख्या 121 है। इनकी कुल जनसंख्या 253 हैं।[7]

I nHk I ph

1) मध्यप्रदेश संदर्भ, मध्यप्रदेश जनसंपर्क का प्रकाशन, 2012 संपादक राकेश श्रीवास्तव चतुर्थ संस्करण 2012 पृष्ठ 425–430

2) जिला गजेटियर पुस्तिका 2016 पृष्ठ संख्या 130

3) जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2012 पृष्ठ संख्या 85

4) कार्यालय जनपद पंचायत व विकासखण्ड चिचोली आंकड़े पृष्ठ संख्या 105–125

5) www. Betul district nic. In

6) पाटील अशोक डी., गोंड व कोरकू जनजीवन, विश्वभारती प्रकशन, नागपुर, पृष्ठ 49

7) शर्मा अरविन्द, गोंड लोक कथाएँ, चन्द्रकला प्रकाशन नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ 10

Unnati International Journal of Multidisciplinary Scientific Research, U.I.J.M.S.R.
Peer Reviewed - Refereed Journal & Impact factor - 3.2, Open Access, Double Blind, Monthly Online Journal
ISSN : 2581-8872, Vol. : 1, No. : 1 Feb. - 2019

lfou; voKk vknksyu ,o vkfnoklh eMyk e txy lR;kxg

मनोज कुमार कुशवाहा
शोध छात्र, इतिहास विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

आदिवासी जिला मण्डला वनों से समृद्ध एवं आच्छादित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन् 1930 के समय जंगल सत्याग्रह औपनिवेशिक वन कानूनों की अवज्ञा का एक व्यापक, उग्र एवं सशक्त माध्यम साबित हुआ। मण्डला क्षेत्र के अनेक स्थानों निवास, खैरी, डिण्डौरी, बारछा, बिछिया तथा समनापुर के क्षेत्रों में आदिवासियों एवं ग्रामीणों द्वारा शांतिपूर्ण जन सत्याग्रह के माध्यम से औपनिवेशिक वन कानूनों की अवहेलना का प्रयास हुआ।

वस्तुतः भारत में जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ वनों पर व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार एवं दायित्व से प्रारंभ होता है। भारत का कृशक एवं आदिवासी समुदाय वनों को व्यक्तिगत व निजि सम्पत्ति मानने की विचारधारा का समर्थक नहीं था। औपनिवेशिक काल से पूर्व वन के उपयोग के संदर्भ में क्षेत्र के जमींदार से उसका संबंध पारस्परिक दायित्वों पर आधारित था। परन्तु बाजार आधारित औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने आदिवासियों के जंगल से सम्बन्ध तथा उनके परम्परागत अधिकारों को समाप्त कर दिया। औपनिवेशिक काल के पर्यावरणीय आन्दोलन ने झूम की खेती को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। तथा बाहरी लोगों साहूकारों, व्यापारियों, ठेकेदारों आदि के आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश को प्रोत्साहन दिया।

औपनिवेशिक वन नीति के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मण्डला क्षेत्र वनों से समृद्ध रहा है। कृशक एवं आदिवासियों का जीवन बहुत कुछ जंगल पर आश्रित था। वनों से वे जलाऊ लकड़ी, फल, पशु चारागाह, कृशि उपकरण, औशधि इत्यादि प्राप्त करते थे। आदिवासी एवं कृशकों के साथ कारीगर वर्ग विशेशकर लोहार, शिल्पी आदि भी जंगलों पर निर्भर थे। अतः मण्डला के एक बड़े वर्ग के लिए वन उनकी अधिकांश भौतिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन था। आदिवासी परिवारों की धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं में से वृक्ष किसी न किसी रूप में सम्बन्धित रहे हैं। ये वृक्ष उनके कुलदेवता एवं पूजक रहे हैं।

यद्यपि औपनिवेशिक युग से पूर्व भी राज्य शासित वन प्रबंधन का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। भारत में राज्य शासित वन नीति का प्रारंभ मगध सम्राट बिम्बिसार के समय से माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्यकाल में वनों पर राज्य का अधिकार था। अनेक अभिलेखों में व्यवसायिक प्रजाति के वन जैसे सागौन, चंदन आदि पर राज्य का नियंत्रण था। अबुल फजल के 'आइने अकबरी' से पता चलता है कि मुगलकाल में लकड़ी व्यवसायिक महत्व की जानकारी थी। अतः विभिन्न स्त्रोतों से यह बात प्रमाणित होती है कि भारत में प्राचीन काल से लेकर मुगलकाल तक वनों पर परम्परागत अधिकार सुरक्षित रहे। एवं वनवासी अपनी–अपनी आवश्यकतानुसार वन एवं वन उत्पादों का उपयोग कर सकते थे।

सन् 1930 ई. में रायपुर में ''प्रांतीय कांग्रेस कमेटी'' की बैठक का आयोजन हुआ। श्री गिरिजा शंकर अग्निहोत्री के नेतृत्व में कांग्रेस के अनेक कार्यकताओं ने उस प्रांतीय बैठक में मण्डला का प्रतिनिधित्व किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जंगल सत्याग्रह प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस से आदिवासियों को जोड़ना था। तथा राश्ट्रीय संघर्श के लिए उनका समर्थन प्राप्त करना था। राश्ट्रीय आन्दोलन विकास के कई आयामों से गुजरकर सन् 1930 तक पहुंचा था। 11 मार्च को महात्मा गांधी दांडी यात्रा के लिए निकल पड़े। म.प्र. में नमक कानून तोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः यहां पर 'जंगल सत्याग्रह' करने का निश्चय किया गया। उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। अतः उनसे सहमति प्राप्त करके म.प्र. में इस आन्दोलन को क्रियान्वित किया गया।

मण्डला जैसे वनाच्छादित जिले के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण आंदोलन था। अतः इस सत्याग्रह में पूरे मण्डला क्षेत्र ने बड़े उत्साह से भाग लेकर जंगल कानून का उल्लघंन किया। पूरे मण्डला क्षेत्र में इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। आंदोलन के प्रचार के लिए गांधी चौक में सभा की गई। ''पंडित गिरजा शंकर अग्निहोत्री'' ने सभा को संबोधित कर जंगल सत्याग्रह का निर्देशन किया। उनके आह्वान पर सभी व्यक्ति कतार से जंगल कानून भंग करने के लिए मण्डला के समीप खैरी ग्राम की ओर बढ़े। यह कार्यक्रम 15 सितम्बर 1930 से प्रारंभ हुआ। अस्त्र–शस्त्रों से युक्त पुलिस की लारियां भी जनता के पीछे थी। जनता खैरी ग्राम के निकट पहुंची वहां सर्वप्रथम श्री अग्निहोत्री एवं ग्राम हृदयनगर के ''श्री शम्भू प्रसाद मिश्र'' ने वृक्षों पर

कुल्हाड़ी से बार प्रारंभ कर जंगल कानून की अवहेलना शुरू की। एक के बाद एक अनेक नेता कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने में जुट गए। पुलिस व वन विभाग के कर्मचारी वहां पहले से तैनात थे। कानून का उल्लघंन करने वाले प्रायः सभी नेता हिरासत में लिए जाने लगे। जैसे–जैसे पुलिस आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करती जाती, वैसे–वैसे जन समूह आगे बढ़कर नियमों का उल्लघंन करता जाता। श्री अग्निहोत्री एवं शम्भू प्रसाद मिश्रा सर्वप्रथम गिरफ्तार किए गए। उनके पश्चात् हृदयनगर के ही भूपतलाल ढीमर, सूरज प्रसाद चौरसिया, मण्डला के श्री शत्रुघ्न पाठक, श्री गबडू कोल, सूरज प्रसाद वर्मा, प्यारे लाल कुर्मी, श्री बिहारी लाल बहरे, श्री गन्धू अहीर, हृदयनगर के सूरज प्रसाद चौरसिया, बम्हनी बंजर से श्री आशाराम शुक्ल, श्री प्यारेलाल कुर्मी आदि गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। इसके अलावा जनता ने भारी मात्रा में गिरफ्तारियां दी किंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

यद्यपि जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ मण्डला में हुआ। किंतु प्रथम गिरफ्तारी मण्डला की ही वर्तमान तहसील ''निवास'' क्षेत्र से हुई। वहां के श्री सूरज प्रसाद बडगैया सर्वप्रथम ''जंगल सत्याग्रह'' के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए। उनकी गिरफ्तारी ने मण्डला के इतिहास में निवास का नाम अमर कर दिया। बडगैया जी अपने 12 साथियों के साथ मण्डला–जबलपुर सडक मार्ग पर ''नर्रई'' नाले के समीप जहां आज रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है। जंगल मे प्रवेश करके कानून का उल्लंघन किया। तथा गिरफ्तार किए गए। उनका निवास स्थान निवास तहसील के ग्राम ''डुंगरिया'' में होने के कारण निवास तहसील के साथ उनका नाम जुड़ गया।

बिछिया क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती सोनी बाई भोयन ने किया। उन्होंने अपनी दो सहेलियों और अन्य समर्थकों के साथ जंगल में घुसकर वनों की अंधाधुध कटाई प्रारंभ कर दी। जंगलों को काटते हुए ये आन्दोलनकारी बालाघाट की सीमा पर पहुंच गए। बिछिया के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर उनका साथ दिया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके अलावा कालीचरण राय, रमल सिंह, कोदूसिंह लोधी, अम्बिकागिरी गोसांई आदि भी गिरफ्तार किए गए तथा उन्हें कठोर कारावास की सजा हुई।

डिण्डौरी में हरिजनों व आदिवासियों ने ऐसा आन्दोलन कर दिखाया जो मण्डला के इतिहास में एक मिशाल बन गया। डिण्डौरी के ''बरछा'' ग्राम के निवासी ''श्री गंधूभोई'' ने इस आंदोलन को उग्र रूप दिया। बारछा निवासी गंधूभोई ने अपने समर्थकों के साथ जंगल में घुसकर वनों की कटाई शुरू कर दी। इस साधारण मानव के कार्य ने जनता में आश्चर्य उत्पन्न कर दिया। डिण्डौरी क्षेत्र उस समय एक ग्राम के अतिरिक्त कुछ नहीं था। पुलिस भेजकर 17–09–1930 को गंधूभोई को गिरफ्तार कर लिया गया। डिण्डौरी तहसील से ही डांड बारछा निवासी एक–दूसरे गंधूभोई भी इस आंदोलन में सम्मिलित थे। उन्हें इस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार सत्याग्रहियों को छुड़ाने तथा खजाना लूटने के आरोप में गिरफ्तार कर जबलपुर जेल भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त डिण्डौरी के प्रेमदत्त राय, छोटेलाल अहीर, ठाकुर दिलीप सिंह आदि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

fu"d"kZ %& अतः सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उपरोक्त आन्दोलनों को देखने से स्पश्ट होता है कि यद्यपि मण्डला आज भी पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता है किन्तु राश्ट्रीयता की भावना व देश प्रेम के मामले में यह बढ़ा–चढ़ा क्षेत्र है। यहां के गोंडों ने देश की स्वतंत्रता के मामले में जो योगदान दिया है वह बड़े–बड़े बुद्धिजीवियों के सिर शर्म से झुका देता है। कांग्रेस के नेतृत्व व प्रभाव के कारण जंगल सत्याग्रह काफी हद तक अहिंसात्मक रहा किन्तु कहीं–कहीं पुलिस के साथ छिट–पुट, झड़पों के उदाहरण भी मौजूद हैं।

lnHkZ xzaFk :&

1. अग्रवाल, गिरजा शंकर, ''मण्डला जिला अतीत से वर्तमान'' गोंडी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला, 2014।
2. अग्रवाल, गिरजा शंकर, ''स्वाधीनता संग्राम मण्डला–डिण्डौरी'', स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल, 2014। (पेज– 112, 113, 114, 115)
3. अग्रवाल, रामभरोस, ''गोंड जाति का सामाजिक अध्ययन'', गोंडी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला, 1988।
4. चंद्रा, विपिन, ''भारत का स्वतंत्रता संघर्ष'', हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय, नई दिल्ली, 1991।
5. मिश्र, द्वारका प्रसाद, ''म.प्र. में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास''।
6. पाण्डेय ए.के. ''मध्य प्रांत में स्वाधीनता संग्राम'' (सन् 1842 से 1947 तक), गोंडी पब्लिक ट्रस्ट, मण्डला, 2012। (पेज–63, 64)
7. उद्दे, अमरसिंह, ''म.प्र. में स्वतंत्रता आंदोलन'' कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2014।

UIJMSR

UJMSR